वित्त मंत्री
भारत
नई दिल्ली - 110001
FINANCE MINISTER
INDIA
NEW DELHI - 110001

प्रस्तावना

शासन में पारदर्शिता और जबावदेही को बढ़ावा देने के भारत सरकार के प्रयास को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2011-12 के बजट में की गई घोषणाओं के कार्यान्वयन की स्थिति को दर्शाने वाली एक विवरणिका संग्रहित की गई है।

मुझे, इस विवरणिका को सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता है।

(प्रणब मुखर्जी)

विषय सूची

क्रम सं	पैरा सं. (बजट भाषण 2011-12 में)	विषय	पृष्ठ सं.
1.	18	एफआरबीएम अधिनियम संशोधित करने हेतु विधेयक प्रस्तुत करना	1
2.	19	संबंधित राज्य सरकारों द्वारा एफआरबीएम अधिनियमों का संशोधन/ अधिनियमन	1
3.	20	भारतीय लोक ऋण प्रबंधन अभिकरण विधेयक प्रस्तुत करना	1
4.	22	प्रत्यक्ष कर संहिता(डीटीसी) को लागू करना	1
5.	23	जीएसटी को लागू करने हेतु संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करना	2
6.	24	जीएसटी के संबंध में आईटी आधार की स्थापना तथा संचालन करने हेतु एनएसडीएल द्वारा एक पायलट पोर्टल की स्थापना	2
7.	25	आयोजना, आयोजना-भिन्न, राजस्व और पूंजी व्यय के बीच सार्वजनिक व्यय के वर्गीकरण हेतु एक समिति का गठन	2
8.	26	यूरिया हेतु पोषक आधारित सब्सिडी व्यवस्था का विस्तार	3
9.	28	मिट्टी का तेल, एलपीजी तथा उर्वरकों के संबंध में प्रस्तावित सब्सिडी सीधे देने के संबंध में कार्यबल की रिपोर्ट	3
10.	30	₹ 40,000 करोड़ जुटाकर विनिवेश की गति को बनाए रखना	4
11.	31	एफडीआई नीति को और उदार बनाना	4
12.	32	विदेशी संस्थागत निवेशक	5
13.	33	एफआईआई द्वारा कारपोरेट बांडों में निवेश की सीमा बढ़ाना	5
14.	34	वित्तीय क्षेत्र में विभिन्न विधानों को लाया जाना	5
15.	35	निजी क्षेत्र के भागीदारों को अतिरिक्त बैंकिंग लाइसेंस प्रदान करने हेतु बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन	6
16.	36	सार्वजनिक क्षेत्र बैंक पुनःपूंजीकरण	6
17.	37	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनःपूंजीकरण	7
18.	38	महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि की स्थापना	7
19.	39	ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की मूल निधि को बढ़ाना	7
20.	40	माइक्रो तथा लघु उद्यमों को बैंकों द्वारा वृद्धिशील उधार के पुनः वित्त पोषण हेतु सिडबी को अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना	8
21.	41	हथकरघा बुनकर सहकारी सोसाइटियों को ऋणों को चुकाने में समर्थ बनाने के लिए नाबार्ड को ₹ 3000 करोड़ उपलब्ध कराना	8
22.	42	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों को बकाया ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर 15 प्रतिशत करना	8
23.	43	आवास क्षेत्र ऋण संबंधी ब्याज आर्थिक सहायता की योजना को उदार बनाना	8
24.	44	प्राथमिक क्षेत्र ऋण के अंतर्गत आवास ऋण सीमा में बढ़ोत्तरी	9
25.	45	ग्रामीण आवास निधि के अंतर्गत दिए गए प्रावधान में बढ़ोत्तरी	9
26.	46	राजीव आवास योजना के अंतर्गत बंधक जोखिम गारंटी निधि का सृजन	9

क्रम सं	पैरा सं. (बजट भाषण 2011-12 में)	विषय	पृष्ठ सं.
27.	47	एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के अंतर्गत केन्द्रीय इलैक्ट्रानिक रजिस्ट्री की स्थापना	9
28.	48	वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग की अधिसूचना	9
29.	49	कंपनी विधेयक को पुनः प्रस्तुत करना	10
30.	51	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु आबंटनों में बढ़ोत्तरी	10
31.	52	हरित क्रांति लाने हेतु आबंटन में बढ़ोत्तरी	10
32.	53	वर्षा सिंचित क्षेत्रों में दलहन ग्रामों का एकीकृत विकास	11
33.	54	ऑयल पाम पौधरोपण का संवर्धन	11
34.	55	सब्जी समूह संबंधी कार्यक्रम	11
35.	56	पोषक अनाजों के अधिक उत्पादन को बढ़ावा देना	12
36.	57	राष्ट्रीय प्रोटीन सम्पूरण मिशन	12
37.	58	त्वरित चारा विकास कार्यक्रम	13
38.	61	राष्ट्रीय सतत् कृषि उत्पादन मिशन-जैविक कृषि को बढ़ावा देना	13
39.	62	बैंकों द्वारा कृषि ऋण हेतु प्रत्यक्ष उधार प्रदान करने की गति में तेजी लाना	13
40.	63	किसानों को अतिरिक्त ब्याज सहायता में बढ़ोत्तरी	14
41.	64	नाबार्ड की अल्पावधिक ग्रामीण ऋण निधि हेतु निधियां उपलब्ध कराना	14
42.	65	अधिक मेगा फूड पार्कों की स्थापना	14
43.	66	ग्रामीण गोदाम योजना के तहत भंडारण क्षमता और कोल्ड स्टोरेज श्रृंखलाओं का सृजन	15
44.	67	कोल्ड स्टोरेज परियोजनाओं की स्थापना	15
45.	68	कोल्ड स्टोरेज श्रृंखलाओं और फसल पश्च भंडारण को अवसंरचना उपक्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान करना।	15
46.	69	राज्य सरकारों द्वारा कृषि उपज-विपणन अधिनियम की समीक्षा	16
47.	71	सरकारी निजी भागीदारियों के विकास संबंधी समेकित नीति	16
48.	72	आईआईएफसीएल द्वारा अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घावधिक वित्तीय सहायता	16
49.	73	विभिन्न सरकारी उपक्रमों द्वारा अवसंरचना कर मुक्त बांडों को जारी करने की अनुमति देना	17
50.	74	अधिसूचित अवसंरचना ऋण निधियों के रूप में विशेष साधन सृजित करना	17
51.	75	राष्ट्रीय विनिर्माण नीति	17
52.	76	प्रापण नीति में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए दो समितियों की सिफारिशें	18
53.	77	पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर मंत्रीदल की सिफारिशें	18
54.	78	नेशनल हाइब्रिड एंड इलैक्ट्रिक व्हीकल मिशन की शुरूआत	18
55.	79	चल रही और नई मेट्रो परियोजनाओं को वित्तीय सहायता मुहैया कराना	18
56.	80	उर्वरक उत्पादन में पूंजी निवेश को अवसंरचनागत उप-क्षेत्र के रूप में शामिल करना	19
57.	81	लेनदेन लागत संबंधी कार्यबल द्वारा दिए गए शेष सुझावों पर कार्रवाई	19

क्रम सं	पैरा सं. (बजट भाषण 2011-12 में)	विषय	पृष्ठ सं.
58.	82	सीमा-शुल्क में स्व-निर्धारण की शुरूआत	19
59.	83	वस्तुओं के निर्यात के लिए प्रयुक्त सेवाओं पर प्रदत्त करों की वापसी हेतु एक योजना की शुरूआत	19
60.	84	मेगा लेदर कलस्टर और हस्तशिल्प मेगा कलस्टर की स्थापना	20
61.	87	कर सूचना के आदान-प्रदान हेतु एक समर्पित प्रकोष्ठ की स्थापना	20
62.	89	बेहिसाबी आय/धन संबंधी अध्ययन की शुरूआत	20
63.	90	स्वापक औषधियों और मनोचिकित्सीय पदार्थों के निवारण संबंधी व्यापक राष्ट्रीय नीति	20
64.	91	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक (एनएफएसबी)	20
65.	92	पंचायतों को ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराना	21
66.	93	एमजीनरेगा के तहत मजदूरी दरों का सूचकांकन	21
67.	94	आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मेहनताना में बढ़ोत्तरी	22
68.	96	शिक्षा क्षेत्र हेतु आबंटन में बढ़ोत्तरी	22
69.	97	सर्वशिक्षा अभियान हेतु आबंटन में बढ़ोत्तरी	22
70.	98	नौंवी तथा दसवीं कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए एक छात्रवृत्ति स्कीम की शुरूआत	22
71.	99	राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क	23
72.	100	राज्य नवाचार परिषदों का गठन	23
73.	101	विश्वविद्यालयों तथा अकादमिक संस्थाओं को विशेष अनुदान	23
74.	102	राष्ट्रीय कौशल विकास निधि हेतु आबंटन में बढ़ोत्तरी	24
75.	103	गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयन्ती मनाना	25
76.	104	असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार	25
77.	105	2000 से अधिक जनसंख्या वाली शेष बस्तियों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना	25
78.	106	स्वावलंबन योजना के अंतर्गत मानकों में छूट	26
79.	107	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के तहत मानकों में छूट	26
80.	108	भारत हरित मिशन हेतु आबंटन	26
81.	109	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि हेतु आबंटन	26
82.	110	नदियों तथा झीलों की सफाई	27
83.	112	लद्दाख और जम्मू में चिह्नित परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त निधियां मुहैया कराना	27
84.	114	वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिलों से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए एकीकृत कार्य योजना	27
85.	115	वामपंथी अतिवाद का सामना करने में विकलांगता के शिकार हुए रक्षा एवं अर्द्ध सैनिक बलों के कार्मिकों को अनुग्रह क्षतिपूर्ति	28
86.	117	न्याय देने में शीघ्रता लाने हेतु प्रावधान में बढ़ोत्तरी	28

क्रम सं	पैरा सं. (बजट भाषण 2011-12 में)	विषय	पृष्ठ सं.
87.	119	जनगणना, 2011 में "जाति" की एक पृथक कवायद करना	28
88.	120	यूआईडी मिशन के तहत आधार नम्बर	28
89.	121	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड में सूचना प्रौद्योगिकी की पहल	29
90.	122	राज्यों में वाणिज्यिक करों के कंप्यूटरीकरण के लिए मिशन मोड परियोजनाएं	30
91.	123	भारतीय स्टॉम्प अधिनियम,1899 में संशोधन	30
92.	124	स्टॉम्प और पंजीकरण प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता मुहैया कराकर एक नई स्कीम की शुरूआत	31
93.	125	नए सरलीकृत विवरणी प्रपत्र "सुगम" की शुरूआत	31
94.	126	समझौता आयोगों के पीठों की स्थापना	31
95.	128	भ्रष्टाचार से निपटने हेतु मंत्री समूह की सिफारिशें	31
96.	129	निष्पादन मॉनीटरिंग और मूल्यांकन प्रणाली	31
97.	130	टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप फॉर यूनिक प्रोजेक्टस (टैगप) की सिफारिशों के क्रियान्वयन के तौर-तरीके तैयार करना	32
98.	131	₹ प्रतीक चिह्न के अंकन वाली सिक्कों की नई श्रृंखला जारी करना	32
99.	144	अवसंरचना के वित्त पोषण के लिए विदेशी निधियां जुटाने के उपाय	32
100.	147	उर्वरकों का उत्पादन कर रहे व्यवसायों को निवेश से संबंधित कटौती का लाभ देना	33
101.	148	वहनीय आवास बनाने में लगे व्यवसायों को निवेश से संबंधित कटौती का लाभ देना	33
102.	149	वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं आदि पर किए जाने वाले भुगतानों पर की जाने वाली भारित कटौती में बढ़ोत्तरी	33
103.	150	विदेशी कर क्षेत्राधिकार से सूचना संग्रहण की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना	33
104.	177	कला-कृतियों और पुरावशेषों के लिए छूट के कार्यक्षेत्र का विस्तार	33
105.	184	वर्तमान सेवा कर प्रणाली और इसके उत्तरवर्ती वस्तु एवं सेवा कर उपायों से तालमेल बैठाना	34
106.	194	लघु निषेधात्मक सूची पर आधारित सेवाओं पर कर लगाने संबंधी सार्वजनिक बहस की शुरूआत करना	34

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	18	**राजकोषीय समेकन** केंद्र में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 (एफआरबीएम अधिनियम) और राज्य स्तर के तदनुरुपी अधिनियमों से यह पता चलता है कि सांविधिक राजकोषीय समेकन लक्ष्यों का अर्थव्यवस्था के वृहत आर्थिक प्रबंधन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। केंद्र सरकार इस वर्ष एफआरबीएम अधिनियम, में एक संशोधन लाएगी जिसमें अगले पांच वर्षों के लिए राजकोषीय खाका तैयार किया जाएगा। (नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग)	राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन करने हेतु प्रस्तावित विधेयक बजट सत्र 2012 में पेश किए जाने की संभावना है। ***कार्य प्रगति पर***
2	19	तेरहवें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए राजकोषीय समेकन की एक रुपरेखा तैयार की है जिसमें उनसे 2014-15 तक हर हालत में राजस्व घाटा समाप्त करने और राजकोषीय घाटे को अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत तक लाने की अपेक्षा की गयी है। इसमें यह भी सिफारिश की गई है कि इस अवधि के दौरान स.घ.उ. के 24.3 प्रतिशत का संयुक्त राज्य ऋण लक्ष्य हासिल किया जाए। राज्यों के लिए यह अपेक्षित है कि वे इन सिफारिशों के अनुरुप अपने एफआरबीएम अधिनियमों में संशोधन करें अथवा इन्हें अधिनियमित करें। (नोडल मंत्रालय/विभागः व्यय विभाग)	एक विस्तृत पत्र सभी राज्य सरकारों को भेजा गया है। इसमें तेरहवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के दौरान राजकोषीय समेकन की रूपरेखा दी गई है । अब तक, 28 में से 24 राज्यों ने अपने एफआरबीएम अधिनियमों को तेरहवें वित्त आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट रीति से अधिनियमित/संशोधित किया है (इनमें वे दो राज्य शामिल हैं, जिन्होंने अध्यादेश के जरिए ऐसा किया है)। ***कार्रवाई पूर्ण***
3	20	सरकार वित्त मंत्रालय में एक स्वतंत्र ऋण प्रबंधन कार्यालय की स्थापना की प्रक्रिया में लगी हुई है। एक मिडल कार्यालय पहले से ही कार्य कर रहा है। अगले कदम के रुप में, मैं आगामी वर्ष में भारतीय लोक ऋण प्रबंधन अभिकरण विधेयक लाने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग)	विधान/विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया है और इस विधेयक को संसद के बजट सत्र 2012 में प्रस्तुत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ***कार्य प्रगति पर***
4	22	जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है, प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक संसद में अगस्त, 2010 में प्रस्तुत किया गया था। स्थायी समिति की रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात हम 2011-12 में इस संहिता को इसके अधिनियमन के लिए अंतिम रुप दे सकेंगे। यह सहभागिता विधान में अग्रणी प्रयास रहा है। इस संहिता के 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होने का प्रस्ताव है जिससे करदाताओं, व्यवसायियों और प्रशासकों	प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक पर वित्त संबंधी स्थायी समिति में विचार-विमर्श चल रहा है। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होते ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ***कार्य प्रगति पर***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		को इस विधान को पूरी तरह समझने और संशोधित प्रक्रियाओं के अनुसार समायोजित करने में आसानी होगी। (नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग)	
5	23	प्रत्यक्ष कर संहिता से भिन्न, वस्तु एवं सेवा कर पर निर्णय राज्यों की सहमति से लिए जाने हैं क्योंकि पिछले चार वर्षों में राज्यों के साथ हमारी बातचीत में पर्याप्त प्रगति हुई है। मतभेद के क्षेत्र कम हुए हैं। वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के एक उपाय के रुप में, मैं संसद के इस सत्र में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करता हूं। केंद्र और राज्य वस्तु एवं सेवा कर के लिए माडल विधान का प्रारुप तैयार करने की प्रक्रिया भी चल रही है। (नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग)	वस्तु एवं सेवा कर को शुरू करने के लिए, संविधान में और संशोधन करने हेतु एक विधेयक 22 मार्च, 2011 को लोकसभा में पुरःस्थापित किया गया है। सशक्त समिति के उप-कार्य दलों के निर्देशों के आधार पर, वस्तु एवं सेवा कर की प्रमुख अवधारणाओं के संबंध में परिचर्चा पत्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस पर अधिकारियों के उप-कार्य दल में चर्चा की जाएगी। एक बार प्रमुख अवधारणाओं पर सर्वसम्मति बन जाने पर, केन्द्र और राज्यों के लिए कानून का प्रारूप तैयार करने का कार्य आरंभ किया जाएगा। ***कार्रवाई पूर्ण***
6	24	वस्तु एवं सेवा कर को प्रारंभ करने के लिए उठाए जा रहे अन्य उपायों में ठोस आईटी अवसंरचना की स्थापना करना भी शामिल है। हमने वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पंजीकरण, प्रतिलाभ तथा भुगतानों की महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाएं पूर्ण होने के अन्तिम चरण में हैं। राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) को राष्ट्रीय सूचना उपयोगिता में शामिल करने हेतु प्रौद्योगिकी भागीदार के रुप में चुना गया है। यह वस्तु एवं सेवा कर के सम्बन्ध में आईटी आधार की स्थापना तथा उसका संचालन करेगा। जून, 2011 तक, एनएसडीएल सम्पूर्ण देश में इसके लागू होने से पहले ग्यारह राज्यों के सहयोग से एक पायलट पोर्टल की स्थापना करेगा। (नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग)	राज्य वित्त मंत्रियों की सशक्त समिति ने वस्तु एवं सेवा कर के लिए एक विशेष प्रयोजन साधन की स्थापना के लिए अपना अनुमोदन दे दिया है। इसे वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) कहा जाएगा। इसके लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन मांगा जा रहा है। तथापि, प्रायोगिक आधार पर, एनएसडीएल ने 11 राज्यों में प्रायोगिक परियोजनाएं पहले ही आरंभ कर दी हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***
7	25	**व्यय सुधार** लोक व्यय का प्रभावी प्रबन्धन राजकोषीय समेकन प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि हम क्या खर्च करते हैं, बल्कि हम कैसे खर्च करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। व्यय, सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन परक होगा। आयोजना, आयोजना-भिन्न राजस्व तथा पूंजी व्यय के मौजूदा	डा0 सी0 रंगराजन की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		वर्गीकरण पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है। यह आवश्यक है क्योंकि हर कोई हमारे विकास हेतु सेवा क्षेत्र और ज्ञान अर्थव्यवस्था की महत्ता को मानता है। इन मुद्दों की जांच करने हेतु योजना आयोग द्वारा डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। (नोडल मंत्रालय/विभागः योजना आयोग)	
8	26	**सब्सिडी** 2010-11 के दौरान, पोषण आधारित सब्सिडी नीति को, यूरिया को छोड़कर, सभी उर्वरकों के सम्बन्ध में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया, सभी हितधारकों ने इस नीति का स्वागत किया है, और उर्वरकों की उपलब्धता में सुधार हुआ है। यूरिया को शामिल करने के लिए पोषक आधारित सब्सिडी व्यवस्था विस्तारित करने के प्रति सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है। (नोडल मंत्रालय/विभागः उर्वरक विभाग)	मंत्रि-समूह (जीओएम) द्वारा गठित सचिवों की समिति ने विद्यमान यूरिया इकाइयों के मूल्य निर्धारण के संबंध में सिफारिशें की हैं। मंत्रि-समूह द्वारा विचार-विमर्श के बाद, यूरिया सेक्टर में पोषण आधारित सब्सिडी संबंधी सचिवों की समिति की रिपोर्ट को आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के विचारार्थ उसके समक्ष रखने का निर्णय लिया गया। सभी मंत्रालयों/विभागों के विचारों का समावेश करते हुए आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के विचारार्थ टिप्पणी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ***कार्य प्रगति पर***
	27	सरकार, विशेष कर, ईंधन तथा खाद्यान्न पर सब्सिडी प्रदान करती है ताकि आम आदमी को वहनीय कीमतों पर इन बुनियादी आवश्यकताओं की पहुंच सुनिश्चित हो सके। सब्सिडी प्राप्त ईंधन की भारी मात्रा लक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुंचती है और सब्सिडी प्राप्त मिट्टी का तेल भारी मात्रा में अन्यत्र चला जाता है। हाल में घटित दुखद घटना से यह प्रकट हुआ है। हमने काफी अर्से से सम्बद्ध लाभार्थियों हेतु सब्सिडियों के कार्यान्वयन के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया है। हमारी चर्चा से निर्णय लेने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मिट्टी के तेल तथा उर्वरक दोनों के सम्बन्ध में बेहतर-क्षमता, किफायती लागत एवं बेहतर वितरण का सुनिश्चिय करने हेतु, सरकार चरणबद्ध तरीके से गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को नकद सब्सिडी सीधे देने की दिशा में अग्रसर होगी।	(पैरा 28 के साथ पढ़ा जाए।)
9	28	श्री नन्दन नीलेकानी की अध्यक्षता में मिट्टी का तेल, एलपीजी तथा उर्वरकों के सम्बन्ध में सब्सिडी सीधे देने की प्रस्तावित प्रणाली के तौर तरीकों को तैयार करने हेतु एक कार्यबल का गठन किया गया है। कार्यबल की अन्तरिम रिपोर्ट जून 2011 तक प्राप्त होने की आशा है। यह प्रणाली मार्च 2012 तक	(पैरा 27 के साथ पढ़ा जाए।) कार्यबल की अंतरिम रिपोर्ट 5 जुलाई, 2011 को प्रस्तुत की गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिट्टी का तेल और एलपीजी के लिए नकद सब्सिडी सीधे देने के संबंध में गठित कार्यबल की सिफारिशों को तेल विपणन कंपनियों के कम वसूलियों संबंधी

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		प्रभावी हो जाएगी। (नोडल मंत्रालय/विभागः पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, उर्वरक विभाग)	सशक्त मंत्रिसमूह द्वारा 'सिद्धांततः' अनुमोदन प्रदान किया गया है। प्रायोगिक अध्ययन के परिणाम के आधार पर, और राज्यों में इसी प्रकार की कवायद शुरू की जाएगी। जहां तक उर्वरकों में सीधे सब्सिडी के देने का प्रश्न है, कार्यबल ने 3 चरणों में चरणबद्ध कार्ययोजना की सिफारिश की है। पहले चरण का कार्य प्रगति पर है। फुटकर विक्रेता को सीधे सब्सिडी देने संबंधी दूसरे चरण का काम खरीफ 2012 तक पूरा होने की संभावना है और किसानों को सब्सिडी देने संबंधी तीसरे चरण का कार्य दूसरे चरण के दुरस्त होने के बाद आरंभ किया जाएगा। ***कार्य प्रगति पर***
10	30	सरकार 2010-11 में, ₹ 40,000 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में, विनिवेश से लगभग ₹ 22,144 करोड़ जुटाएगी। कर-भिन्न राजस्व में आशा से अधिक वसूली हो जाने से मौजूदा वर्ष के लिए योजना बनाए गए विनिवेश मुद्दों में से कुछ की नए सिरे से योजना बनानी पड़ी। मैं, 2011-12 में ₹ 40,000 करोड़ जुटाकर विनिवेश की इस गति को बनाए रखने का प्रस्ताव करता हूं। यहां मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि सरकार सरकारी क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों के स्वामित्व तथा प्रबन्धन नियंत्रण को कम से कम 51 प्रतिशत पर बनाए रखने हेतु प्रतिबद्ध है, जैसा कि मेरे 2009-10 के बजट भाषण में कहा गया था। (नोडल मंत्रालय/विभागः विनिवेश विभाग)	विनिवेश की गति बनाए रखने के लिए, 2011-12 के दौरान, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने सेल, ओएनजीसी, एचसीएल, पीएफसी, बीएचईएल और एनबीसीसी में विनिवेशों को अनुमोदित किया है। पीएफसी का एफपीओ जहां पूरा हो चुका है और सरकर ने ₹ 1144.56 करोड़ जुटाए हैं, वहीं वर्तमान वित्त वर्ष के अंत तक अन्य निर्गमों के पूरा हो जाने की संभावना है। दूसरे मामलों को संबंधित मंत्रालयों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा। ***कार्य प्रगति पर***
11	31	**निवेश माहौल** *विदेशी प्रत्यक्ष निवेश* एफडीआई नीति को और अधिक प्रयोक्ता अनुकूल बनाने के लिए पूर्व के सभी विनियमों तथा दिशा निर्देशों को एक व्यापक दस्तावेज में संकलित किया गया है और जिसकी प्रत्येक छह मास में समीक्षा होती है। पिछली समीक्षा सितम्बर 2010 में की गयी थी। यह समीक्षा सुस्पष्टता बढ़ाने तथा विदेशी निवेशकों के प्रति हमारी विदेशी प्रत्यक्ष नीति का पूर्वानुमान लगाने के विशिष्ट आशय से की गयी थी। एफडीआई नीति को और उदार बनाने के लिए विचार-विमर्श किया जा रहा है। (नोडल मंत्रालय/विभागः औद्योगिक नीति एवं सवर्धन विभाग)	चौथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी नीतिगत दस्तावेज 30 सितम्बर, 2011 को जारी किया गया है। इसमें कतिपय शर्तों के अधीन, मौजूदा एफडीआई सीमा को 51 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करके सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में एफडीआई संबंधी नीति को उदार बनाया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
12	32	**विदेशी संस्थागत निवेशक** वर्तमान में, केवल विदेशी संस्थागत निवेशकों के उप-खाते सेबी के पास पंजीकृत होते हैं और एनआरआई को म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश की अनुमति दी जाती है। पोर्टफोलियों निवेश माध्यम को उदार बनाने हेतु, सेबी पंजीकृत म्यूचुअल फंडों को इक्विटी योजनाओं के लिए केवाईसी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विदेशी निवेशकों से अभिदान स्वीकार करने की अनुमति देने का निश्चय किया गया है। इससे भारतीय म्यूचुअल फंड तक सीधी पहुंच बढ़ाने और भारतीय इक्विटी बाजार में विदेशी निवेशकों की श्रेणी को व्यापक बनाने में सक्षम होंगे। (नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग)	सेबी ने 9 अगस्त, 2011 को परिपत्र जारी किया है जिसमें विदेशी निवेशकों (जिन्हें पात्र विदेशी निवेशक नाम दिया गया है) को अवसंरचना क्षेत्र में निवेश करने वाली इक्विटी स्कीमों और ऋण स्कीमों से कारोबारी संबंध बनाने की अनुमति दी गई है। ***कार्रवाई पूर्ण***
13	33	अवसंरचना क्षेत्र में निधियों का प्रवाह बढ़ाने के लिए अवसंरचना क्षेत्र में पांच वर्षों से अधिक की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि वाले कम्पनियों द्वारा जारी कारपोरेट बांडों में निवेश की एफआईआई सीमा को 20 बिलियन अमरीकी डालर की अतिरिक्त सीमा से बढ़ाकर 25 बिलियन अमरीकी डालर कर दिया गया है। इससे एफआईआई के लिए कारपोरेट बांडों में निवेश हेतु उपलब्ध कुल सीमा बढ़कर 40 बिलियन अमरीकी डालर हो जाएगी। चूंकि अधिकांश अवसंरचना सम्बन्धी कम्पनियां एसपीवी के स्वरुप में नियोजित हैं, एफआईआई को भी न्यूनतम तीन वर्षों की समयबंदी सहित असूचीबद्ध बांडों में निवेश की अनुमति होगी। तथापि, एफआईआई को समयबंदी के दौरान स्वयं आपस में व्यापार करने की अनुमति होगी। (नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग)	सेबी ने 31 मार्च, 2011 को एक परिपत्र जारी किया है, जिसमें अवसंरचना क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों द्वारा जारी दीर्घावधिक कारपोरेट बांडों में एफआईआई सीमा को 5 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 25 बिलियन अमरीकी डालर किया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
14	34	**वित्तीय क्षेत्र विधायी पहल** 1990 के दशक के प्रारम्भ में शुरु किए गए वित्तीय क्षेत्र संबंधी सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे परिणाम निकले हैं। संप्रग सरकार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। तदनुसार, मैं वित्तीय क्षेत्र में निम्नलिखित विधान लाने का प्रस्ताव करता हूं:	
		(i) बीमा विधि (संशोधन) विधेयक, 2008;	यह विधेयक 22 दिसम्बर, 2008 को राज्य सभा में पेश किया गया था और इसे वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया। स्थायी समिति ने अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसकी जांच की जा रही है।

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		(ii) जीवन बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 2009;	—जीवन बीमा निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011, 13 जनवरी, 2011 को अधिसूचित कर दिया गया है।
		(iii) संशोधित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2005 में पहली बार प्रस्तुत;	—यह विधेयक 24 मार्च, 2011 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है।
		(iv) बैंकिग विधि संशोधन विधेयक, 2011;	—यह विधेयक 22 मार्च, 2011 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है।
		(v) आड़ती और प्राप्तव्यों का समनुदेशन विधेयक;	—यह विधेयक 24 मार्च, 2011 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है।
		(vi) भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक विधि) संशोधन विधेयक, 2009; और	—भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक विधि) संशोधन अधिनियम, 2011 अब अधिसूचित किया जा चुका है।
		(vii) आरडीबीएफआई अधिनियम, 1993 और एसए आरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 में संशोधन हेतु विधेयक।	—यह विधेयक 12 दिसम्बर, 2011 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है। **कार्रवाई पूर्ण**
		(नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवा विभाग)	
15	35	मैंने अपने पिछले बजट भाषण में घोषणा की थी कि भारतीय रिजर्व बैंक निजी क्षेत्र के भागीदारों को कुछ अतिरिक्त बैंकिंग लाइसेंस प्रदान करने के बारे में विचार करेगा। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2010 में एक परिचर्चा पत्र जारी किया था, जिसमें आम लोगों से जानकारी मांगी गयी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियामक अधिनियम में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया है। मैं, इस बजट सत्र में, इस सम्बन्ध में कुछ उपयुक्त विधायी संशोधन लाने का प्रस्ताव करता हूं। भारतीय रिजर्व बैंक इस वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले बैंकिंग लाइसेंसों हेतु दिशानिर्देश जारी करने की योजना बना रहा है। (नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवा विभाग)	भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने हेतु दिशानिर्देशों का प्रारूप जारी किया है और इस पर विभिन्न हितधारकों के विचार/मत मांगे गए हैं। प्राप्त फीडबैक के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देकर उन्हें जारी किया जाएगा। इसके अलावा, बैंकिंग विधि संशोधन विधेयक, 2011 लोक सभा में 22 मार्च, 2011 को प्रस्तुत किया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
16	36	**सार्वजनिक क्षेत्र बैंक पुन:पूंजीकरण** वर्ष 2010-11 के दौरान, सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ₹ 20,157 करोड़ की राशि मुहैया करा रही है ताकि जोखिम भारित, पूंजी आस्ति अनुपात (सीआरएआर) को 8 प्रतिशत पर रखा जा सके तथा कुछ बैंकों में सरकारी इक्विटी को बढ़ाकर 58 प्रतिशत किया जा सके। मैं, 2011-12 हेतु ₹ 6,000 करोड़ की राशि की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 8 प्रतिशत पर न्यूनतम टीयर-I सीआरएआर रखने में सक्षम हों। (नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवा विभाग)	नाबार्ड को ₹ 1000 करोड़ की राशि अंतरित की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूंजीकरण हेतु उपलब्ध राशि ₹ 5,000 करोड़ है। संशोधित अनुमान 2011-12 में ₹ 6,000 करोड़ की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की गई है। ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
17	37	**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनः पूंजीकरण** क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की वित्तीय सुदृढ़ता के भाग के रुप में, इस वर्ष इन बैंकों को ₹ 350 करोड़ की राशि प्रदान की गयी थी। मैं 2011-12 के लिए ₹ 500 करोड़ की व्यवस्था का प्रस्ताव करता हूं ताकि वे 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार कम से कम 9 प्रतिशत पर सीआरएआर रखने में समर्थ हो। (नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवा विभाग)	2011-12 के दौरान ₹ 500 करोड़ की व्यवस्था की गयी है और 10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ₹ 110.83 करोड़ की राशि पहले ही जारी कर दी गई है। ***कार्रवाई पूर्ण***
18	38	*माइक्रो वित्त संस्थाएं* माइक्रो वित्त संस्थाएं (एमएफआई) वित्तीय समावेशन के महत्वपूर्ण माध्यम के रुप में उभरे हैं। अपेक्षाकृत छोटी माइक्रो वित्त संस्थाओं को इक्विटी तथा अर्द्ध इक्विटी उपलब्ध कराने हेतु समर्पित निधि के सृजन से विकास बनाए रखने तथा प्रचालनों में मानदण्ड एवं प्रभावकारिता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मैं, इस वर्ष सिडबी के साथ ₹ 100 करोड़ की भारत माइक्रो वित्त इक्विटी निधि का सृजन करने का प्रस्ताव करता हूं। महिलाओं को सशक्त बनाने तथा इन स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के संवर्धन के लिए ₹ 500 करोड़ की राशि से, मैं महिला स्व-सहायता समूह विकास निधि के सृजन का प्रस्ताव करता हूं। भारत में माइक्रो वित्तक्षेत्र से सम्बन्ध मुद्दों की जांच करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित की गयी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार, लघु उधारकर्त्ताओं के हितों की रक्षा हेतु, उपयुक्त विनियामक प्रेमवर्क लाने पर विचार कर रही है। (नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवा विभाग)	इंडिया माइक्रो इक्विटी फंड (आईएमईएफ) की स्थापना के लिए, दिशानिर्देश अनुमोदित किए जा चुके हैं। आवश्यक बजट प्रावधान किया गया है और स्वीकृति आदेश जारी किया जा रहा है। ₹ 500 करोड़ की निधि से 'महिला स्वसहायता समूह विकास निधि' सृजित करने हेतु मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त किया जा रहा है। माइक्रो वित्त संस्था (विकास और विनियमन) विधेयक संबंधी प्रारूप पर मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ***कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण***
19	39	**ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि** ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) बैंक निधियों को ग्रामीण अवसंरचना के वित्त पोषण हेतु लगाने का एक प्रमुख माध्यम है। यह राज्य सरकारों के बीच लोकप्रिय है। मैं आरआईडीएफ XVII की मूल निधि को मौजूदा वर्ष में ₹ 16,000 करोड़ से बढ़ाकर 2011-12 में ₹ 18,000 करोड़ करने का प्रस्ताव करता हूं। यह अतिरिक्त आवंटन भाण्डागार सुविधाओं के सृजन हेतु समर्पित होगा। (नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवा विभाग)	भारतीय रिजर्व बैंक को ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के लिए निधियां आबंटित करने की सलाह देते हुए 18 अप्रैल, 2011 को प्रशासनिक आदेश जारी किए गए हैं। नाबार्ड को संचालनात्मक दिशा-निर्देश 16 सितम्बर, 2011 को जारी किए गए हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
20	40	**माइक्रो-लघु एवं मध्यम उद्यम** माइक्रो तथा लघु उद्यम साम्य तथा समावेशी विकास के उद्देश्यों को पुष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले वर्ष सिडबी को ₹ 4,000 करोड़ इन उद्यमों हेतु बैंकों द्वारा वृद्धिशील उधार के पुन: वित्त पोषण हेतु प्रदान किए गए थे। वर्ष 2011-12 के लिए मैं सिडबी को इसी प्रयोजनार्थ ऐसे बैंकों को ₹5,000 करोड़ उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं जिन्होंने प्राथमिक क्षेत्र के उधार लक्ष्यों में गिरावट दर्ज की थी। (नोडल मंत्रालय/विभाग: वित्तीय सेवा विभाग)	भारतीय रिजर्व बैंक को, आवश्यक आबंटन करने के लिए, आदेश 18 अप्रैल, 2011 को जारी किए जा चुके हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***
21	41	हथकरघा बुनकर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। परिणामस्वरुप, उनमें से अनेक हथकरघा बुनकर सहकारी सोसाइटियों को जो वित्तीय दृष्टि से अक्षम हो चुकी हैं, को ऋण नहीं चुका पाए हैं। मैं, नाबार्ड को इन सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करने हेतु ₹ 3,000 करोड़ चरणों में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं। इस पहल से 15,000 सहकारी सोसाइटियां तथा लगभग 3 लाख हथकरघा बुनकर लाभान्वित होंगे। वस्त्र मंत्रालय इस योजना का ब्यौरा योजना आयोग से परामर्श करके तैयार करेगा। (नोडल मंत्रालय/विभाग: कपड़ा विभाग, योजना आयोग)	योजना आयोग ने हथकरघा सेक्टर के "पुनःरूद्धार" सुधार और पुनर्संरचना पैकेज" को 'सिद्धांततः' अनुमोदित कर दिया है। पैकेज के लिए दिशानिर्देश 28 नवम्बर, 2011 को जारी किए गए हैं। राष्ट्रीय कार्यान्वयन, मानीटरिंग और पुनरीक्षण समिति (एनआईआर एमसी) की दो बैठकें आयोजित की गई हैं। तीसरी बैठक शीघ्र ही आयोजित होने की संभावना है। ₹ 50 करोड़ की राशि भारत की आकस्मिकता निधि से आबंटित की गई है। ***कार्य प्रगति पर***
22	42	मुझे यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि अल्पसंख्यक समुदायों के बकाया ऋण जो पिछले वर्ष की समाप्ति पर कुल प्राथमिक क्षेत्र उधार का 13 प्रतिशत थे, मौजूदा वर्ष में बढ़कर 13.6 प्रतिशत हो गए हैं। मैंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को आदेश दिए हैं कि वे जितनी जल्दी संभव हो 15 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करें। (नोडल मंत्रालय/विभाग: वित्तीय सेवा विभाग)	पब्लिक सेक्टर बैंकों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 30 सितम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों को कुल बकाया ऋण ₹ 1,47,083 करोड़ था जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों हेतु कुल अग्रिमों का 14.50 प्रतिशत बनता है। ***कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण***
23	43	**आवास क्षेत्र वित्त** आवास क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने हेतु, मैं आवास ऋणों पर 1 प्रतिशत की ब्याज आर्थिक सहायता की मौजूदा योजना को उस स्थिति में ₹ 15 लाख तक के आवास ऋण तक बढ़ाकर उधार बना रहा हूं जहां मकान की लागत क्रमश: ₹10 लाख तथा ₹ 20 लाख की मौजूदा सीमा से बढ़कर ₹ 25 लाख से अधिक न हो। (नोडल मंत्रालय/विभाग: वित्तीय सेवा विभाग)	आवश्यक आदेश 15 दिसम्बर, 2011 को जारी किए जा चुके हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
24	44	शहरी क्षेत्रों में आवासीय सम्पत्तियों की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण, मैं प्राथमिक क्षेत्र ऋण के अन्तर्गत मौजूदा आवास ऋण सीमा को ₹ 20 लाख से बढ़ाकर ₹ 25 लाख करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवा विभाग)	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवश्यक परिपत्र 11 मई, 2011 को जारी किया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
25	45	ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी दरों पर लक्षित समूहों के लिए आवास वित्त पोषण की व्यवस्था करने हेतु, मैं ग्रामीण आवास निधि के अंतर्गत इस प्रावधान को ₹2,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 3,000 करोड़ करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवा विभाग)	ग्रामीण आवास निधि में, आबंटन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को आदेश 18 अप्रैल, 2011 को जारी कर दिए गए हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***
26	46	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और एलआईजी परिवारों के लिए ऋण प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है। इस मुद्दे के समाधान हेतु, मैं राजीव आवास योजना के तहत बंधक जोखिम गारंटी निधि के सृजन का प्रस्ताव करता हूं। यह आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और एलआईजी परिवारों द्वारा लिए गए ऋणों पर गारंटी प्रदान करेगी तथा उनकी ऋण क्षमता को बढ़ाएगी। (नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवा विभाग, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय)	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए ऋण प्राप्त करने के मुद्दे के निराकरण के लिए, बंधक जोखिम गारंटी निधि की स्थापना करने और उसे संचालित करने के ब्यौरे को अंतिम रूप दिया गया है और उस पर मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। ***कार्य प्रगति पर***
27	47	ऋण मामलों में धोखाधड़ी, जिनमें एक ही अचल सम्पत्ति पर विभिन्न बैंकों से एक से अधिक बार ऋण देना शामिल है,को रोकने के लिए, सरकार ने एसएआर एफएईएसआई अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत केंद्रीय इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री की स्थापना को सुसाध्य बनाया है। यह रजिस्ट्री 31 मार्च, 2011 तक काम करने लगेगी। (नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवा विभाग)	केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक रजिस्ट्री ने 31 मार्च, 2011 से कार्य करना आरंभ कर दिया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
28	48	**वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग** बजट 2010-11 में की गई घोषणा के अनुसरण में, सरकार ने न्यायमूर्ति बी.एन. श्री कृष्णा की अध्यक्षता में एक वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग की स्थापना की है। यह वित्तीय क्षेत्र के कानूनों, नियमों और विनियमों का पुनर्लेखन और सुप्रवाहीकरण करेगा और उन्हें आधुनिक वित्तीय क्षेत्र की आवश्यकताओं	आयोग की स्थापना अब 24 मार्च, 2011 की अधिसूचना द्वारा की जा चुकी है। ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		के अनुरूप बनाएगा। यह आयोग 24 महीनों में अपना कार्य पूरा करेगा। (नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग)	
29	49	संसद में 2009 में प्रस्तुत कंपनी विधेयक संसदीय स्थाई समिति से प्राप्त हो चुका है। प्रस्तावित विधेयक मौजूदा सत्र में लोक सभा में पेश किया जाएगा। (नोडल मंत्रालय/विभागः कारपोरेट कार्य मंत्रालय)	कंपनी विधेयक, 2011 लोक सभा में 14 दिसम्बर, 2011 को पेश किया जा चुका है। ***कार्रवाई पूर्ण***
30	51	2010-11 के बजट में, मैंने कृषि उत्पादन, कृषि उपज की बर्बादी में कमी, किसानों को ऋण सहायता और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर जोर देने को समाहित करते हुए, एक चार-स्तरीय कार्ययोजना प्रस्तुत की थी। इन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप मिलने शुरू हो गए हैं परन्तु हमारी खाद्य अर्थव्यवस्था में अन्य मुद्दे भी हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। खाद्य मूल्यों में हाल की तेजी फलों और सब्जियों, दूध, मांस, कुक्कट, अंडे और मछली, जैसी वस्तुओं जो प्राथमिक खाद्य वस्तुओं के लिए थोक मूल्य सूचकांक समूह का 70 प्रतिशत बनता है, के मूल्यों में वृद्धि की वजह से थी। इस वर्ष मेरा ध्यान वस्तुओं के लिए उत्पादन और वितरण की बाधाओं को दूर करने पर केद्रित रहेगा। मैं जल्दी शुरूआत के लिए इस समय चल रही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अधीन इन योजनाओं के लिए आवंटन करने का प्रस्ताव करता हूँ। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का कुल आवंटन 2010-11 में ₹ 6,755 करोड़ से बढ़ाकर 2011-12 में ₹ 7,860 करोड़ किया जा रहा है। (नोडल मंत्रालय/विभागः कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय)	2011-12 के लिए ₹ 7860 करोड़ के निधि आबंटन में से, ₹ 4185 करोड़ की राशि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अब जारी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ₹ 49.13 करोड़ की राशि उपलब्ध है, जिसे, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाना है। निधियां जारी किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
31	52	**पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रान्ति लाना** पूर्वी क्षेत्र में हरित क्रान्ति आने को है। इस क्षेत्र की संभाव्यता को साकार करने के लिए, पिछले वर्ष का कार्यक्रम 2011-12 में जारी रहेगा और इस निमित्त ₹ 400 करोड़ का और आवंटन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का लक्ष्य असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चावल आधारित फसल प्रणाली में सुधार करना है। (नोडल मंत्रालय/विभागः कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय)	योजना के दिशानिर्देश तैयार किए गए और संबंधित राज्यों को कार्य योजना तैयार करने के लिए परिचालित किए गए। सभी 7 राज्यों ने परियोजनाएं अनुमोदित कर दी हैं। ₹ 400 करोड़ की आबंटित राशि में से, ₹ 198.31 करोड़ की राशि इन राज्यों को प्रथम किस्त के रूप में अब जारी की जा चुकी है। निधियां जारी किया जाना एक सतत प्रक्रिया है। ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
32	53	**वर्षासिंचित क्षेत्रों में 60,000 दलहन ग्रामों का एकीकृत विकास** दलहन पर सरकार की पहल की किसानों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार, इस वर्ष दालों का उत्पादन 165 लाख टन होने की संभावना है, जबकि पिछले वर्ष यह 147 लाख टन हुआ था। इन लाभों में और बढ़ोत्तरी करते हुए, हमें अगले तीन वर्षों में, दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मैं फसल उत्पादकता बढ़ाने एवं बाजार संपर्कों को मजबूत करने के लिए वर्षासिंचित क्षेत्रों में 60,000 दलहन ग्रामों को प्रोत्साहित करने के लिए ₹ 300 करोड़ की राशि उपलब्ध करने का प्रस्ताव करता हूँ। (नोडल मंत्रालय/विभागः कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय)	इस संबंध में दिशानिर्देश तैयार किए गए थे और राज्यों को कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए परिचालित किए गए। प्रत्येक राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति ने संबंधित राज्य योजना को अनुमोदित किया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की इस उप-योजना के तहत आबंटन ₹ 300 करोड़ है। राज्यों को, अब तक, ₹ 276.12 करोड़ की राशि जारी की गई है। निधियां जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
33	54	**ऑयल पाम का संवर्धन** खाद्य तेलों का घरेलू उत्पादन मांग का केवल लगभग 50 प्रतिशत ही पूरा हो पाता है। आपूर्ति की इस कमी को आयातों से पूरा किया जाता है जो हमारी आवश्यकता की मात्रा के कारण प्राय: उच्च मूल्यों पर किए जाते हैं। हमारे हाल के उपायों और अच्छी वर्षा होने से, तिलहन का उत्पादन, 2009-10 में 249 लाख टन की तुलना में, 2010-11 में 278 लाख टन होने की संभावना है। खाद्य तेलों की कमी को दूर करने के लिए हमें ऑयल पाम पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि यह सर्वाधिक सक्षम तिलहनी फसलों में एक है। मैं, किसानों को बाजारों के साथ जोड़कर, ऑयल पाम पौध रोपण के अधीन 60,000 हेक्टेयर लाने हेतु ₹ 300 करोड़ की राशि का प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस कार्यक्रम से पांच वर्षों में लगभग 3 लाख मीद्रिक टन पाम आयल वार्षिक रूप से प्राप्त होगा। (नोडल मंत्रालय/विभागः कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय)	इस योजना के दिशानिर्देश तैयार किए गए और इन्हें क्रियान्वित करने वाले राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा और तमिलनाडु को परिचालित किया गया हैं। राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति के अनुमोदन के आधार पर, इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्यों को अब तक ₹ 274.40 करोड़ की राशि जारी की गई है। निधियां जारी करना एक सतत प्रकिया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
34	55	**सब्जी समूह संबंधी कार्यक्रम** सब्जियों की बढती हुई मांग को उत्पादकता और बाजार सम्पर्कों में जबर्दस्त वृद्धि करके पूरा किया जाना है। क्वालिटी सब्जियां प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर उपलब्ध कराने हेतु एक सक्षम आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करनी होगी, मैं, किसानों के लिए अधिक उत्पादन और आय के लाभकारी विचार को कार्यरूप देने के	निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं : 1. संचालनात्मक दिशानिर्देश तैयार किए गए और राज्यों को परिचालित किए गए हैं। 2. राज्य सरकारों द्वारा नोडल अधिकारी पहले ही नियुक्त कर दिए गए हैं। 3. आबंटन सूचित किए गए हैं और राज्यों से खरीफ 2011 के

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		लिए सब्जी कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु, ₹ 300 करोड़ देने का प्रस्ताव करता हूँ। आरंभ में, यह कार्यक्रम प्रमुख शहरी केंद्रों के निकट शुरू किया जाएगा। (नोडल मंत्रालय/विभागः कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय)	पूर्व, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा परियोजनाओं को अनुमोदित करने का आग्रह किया गया है। 4. परियोजनाओं को 28 राज्यों/संघ क्षेत्रों में अनुमोदित कर दिया गया है और अब तक ₹ 207.55 करोड़ की राशि जारी की गई है। निधियां जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
35	56	**पोषक अनाज** हम जहां सभी के लिए भोजन सुनिश्चित करते हैं, वहीं हमें संतुलित पोषाहार को भी बढ़ावा देना चाहिए। बाजरा, ज्वार, रागी और अन्य मोटे अनाज अत्यंत पौष्टिक हैं और ये अनेक औषधीय गुणों के कारण जाने जाते हैं। तथापि, इन पोषक अनाजों की उपलब्धता और खपत कम है और हाल के वर्षों में इसमें निरन्तर कमी आई है। इन अनाजों के अधिक उत्पादन को बढ़ावा देने, उनकी प्रसंस्करण प्रैद्योगिकियों के उन्नयन और उनसे स्वास्थ्य को होने वाले फायदों के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु ₹ 300 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। इस पहल से देश के शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में मोटे अनाजों का उत्पादन करने वाले दस लाख किसानों को बाजार सम्बद्ध उत्पादन सहायता उपलब्ध होगी। यह कार्यक्रम लगभग 25,000 ग्रामों को शामिल करते हुए 1000 सुसम्बद्ध प्रखंडों में आरंभ किया जाएगा। इसमें पोषाहार संबंधी सुरक्षा में सुधार लाने और पशुओं के लिए दाना और चारा आपूर्ति में सुधार लाने में मदद मिलेगी। (नोडल मंत्रालय/विभागः कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय)	मोटे अनाजों के उत्पादन को भरपूर बढ़ावा देकर पोषाहार सुरक्षा हेतु कार्यक्रम संबंधी योजना तैयार की गई है। इस योजना का उद्देश्य समन्वित ढंग से उन्नत पैदावार और फसल-पश्च तकनीकों की जानकारी देना है जिनका प्रभाव देश में मोटे अनाजों की पैदावार को बढ़ाने में दृष्टिगोचर हो। इसके अतिरिक्त, मोटे अनाजों के बढ़ते उत्पादन और प्रसंस्करण/मूल्य वर्धन तकनीकों से मोटे अनाजों पर आधारित खाद्य पदार्थों के प्रति उपभोक्ताओं की मांग पैदा होने की आशा है। सभी राज्यों की कार्य योजनाओं को राज्य स्तरीय स्वीकृति समितियों द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और राज्यों को, अब तक, ₹ 274.66 करोड़ की राशि जारी की गई है। निधियां जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
36	57	**राष्ट्रीय प्रोटीन सम्पूरण मिशन** पशु जन्य प्रोटीन और अन्य पोषण तत्वों से भरपूर खाद्यान्नों की खपत में हाल ही में वृद्धि हुई है, जिसमें मांग उत्पादन की अपेक्षा तेजी से बढ़ रही है। 2011-12 में ₹ 300 करोड़ के आवंटन से राष्ट्रीय प्रोटीन सम्पूरण मिशन आरम्भ किया जा रहा है। इसमें चुनिंदा प्रखंडों में पशुधन विकास, डेयरी पालन, सुअर पालन, बकरी पालन और मछली पालन के जरिए पशु आधारित प्रोटीन उत्पादन गतिविधियां आरंभ की जाएंगी। (नोडल मंत्रालय/विभागः पशुपालन, डेयरी कार्य एवं मात्स्यिकी विभाग)	राष्ट्रीय प्रोटीन संपूरण मिशन के विस्तृत दिशानिर्देश सहभागी राज्यों को जारी कर दिए गए हैं। उन्हें यह सलाह दी गई है कि वे अपने स्तर पर विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार करें और संबंधित राज्य की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की मंजूरी प्राप्त करें। सभी सहभागी राज्यों को ₹ 226.73 करोड़ की राशि पहले ही जारी कर दी गई है। ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
37	58	**त्वरित चारा विकास कार्यक्रम** दूध के सतत उत्पादन के लिए चारे की पर्याप्त उपलब्धता आवश्यक है। सम्पूर्ण वर्ष चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रौद्योगिकियों के व्यापक संवर्धन के जरिए चारे के उत्पादन में तेजी लाना आवश्यक है। मैं, त्वरित चारा विकास कार्यक्रम के लिए ₹ 300 करोड़ मुहैया कराने का प्रस्ताव करता हूँ जिससे 25,000 गांवों के किसान लाभान्वित होंगे। (नोडल मंत्रालय/विभागः कृषि एवं सहकारिता विभाग)	इस कार्यक्रम हेतु दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और कृषि व सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। 12 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को त्वरित चारा विकास कार्यक्रम कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए चुना गया है और राज्यों को राज्यवार आबंटन सूचित किया गया है। 11 राज्यों ने प्रस्ताव पूरी तरह से तैयार किए हैं तथा छत्तीसगढ़ ने आंशिक प्रस्ताव तैयार किया है तथा इसें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति से अनुमोदित करवाया है। अभी तक, 12 राज्यों को ₹ 241.94 करोड़ की राशि जारी की गई है। निधियां जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
	60	**राष्ट्रीय सतत् कृषि उत्पादन मिशन** जहां खाद्यान्नों की बढती मांग की पूर्ति के लिए कृषि उपज को अधिक से अधिक करने की आवश्यकता है, वहीं हमें कृषि उत्पादकता को दीर्घकाल तक बनाए रखना हैं। कई कारकों की वजह से मृदा उर्वरता से गिरावट आयी है। फसल के अवशेषों को हटाए जाने और रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध इस्तेमाल से तथा मिथ्या कीमतों की वजह से मृदा के उपजाऊपन में कमी और जल-प्रदूषण हुआ है।	(पैरा नं0-61 के साथ पढ़ा जाए)
38	61	इन मुद्दों के समाधान के लिए, सरकार का जैविक कृषि पद्धतियां, आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ परम्परागत कृषि कार्य जैसे हरी खाद डालना, जैववैज्ञानिक कीट नियंत्रण और खर-पतवार निवारण प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। (नोडल मंत्रालय/विभागः कृषि एवं सहकारिता विभाग)	(पैरा नं0-60 के साथ पढ़ा जाए) ऑर्गेनिक फार्मिंग तथा ग्रीन मैनुरिंग को राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन के अंतर्गत घटकों के रूप में शामिल किया गया है। कीड़ो-मकोड़ो, रोगों और खरपतवारों से प्रतिवर्ष 10-30% फसल की हानि होती है। इन्हें नियंत्रित करने के लिए, समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम) को पादप संरक्षण कार्यनीति के मुख्य आधार के रूप में अपनाकर, 1991-92 से "भारत में कीट प्रबंधन कार्य योजना का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण" नामक योजना प्रारंभ की गई है। आईपीएम कार्यक्रम के अंतर्गत, 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 31 केन्द्रीय आईपीएम केन्द्र स्थापित किए गए। इन केन्द्रों का अधिदेश कीट/रोग मानीटरिंग, जैव नियंत्रण एजेंटों/जैव-कीटनाशकों का उत्पादन निर्मुक्तिकरण, जैव नियंत्रण एजेंटों का संरक्षण और कृषि/उद्यानिकी विस्तार अधिकारियों तथा निचले स्तर पर कृषक क्षेत्र विद्यालयों द्वारा कृषकों के खेतों में ही कृषकों को प्रशिक्षण देकर समेकित कीट प्रबंधन में मानव संसाधन विकास करना है। ***कार्रवाई पूर्ण***
39	62	**कृषि ऋण** अपनी भूमि से सर्वाधिक लाभ प्राप्ति के लिए, किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाने की	कृषि ऋण के निर्बाध प्राप्ति के लक्ष्य को सूचित करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और सभी बैंकों को प्रशासनिक आदेश 18

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		आवश्यकता है। विगत कुछ वर्षों में बैंक कृषि ऋण प्रवाह के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति निरंतर करते रहे हैं। मैं, किसानों को इस वर्ष के ₹ 3,75,000 करोड़ के ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 2011-12 में ₹ 4,75,000 करोड़ कर रहा हूँ। बैंकों से कहा गया है कि कृषि के लिए सीधा उधार और छोटे और सीमांत किसानों को ऋण प्रदान करने की गति में तेजी लाएं। (नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवा विभाग)	अप्रैल, 2011 को जारी किए गए हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***
40	63	किसानों को 7 प्रतिशत की ब्याज की दर से अल्पावधिक फसल ऋण प्रदान करने की मौजूदा ब्याज आर्थिक सहायता योजना 2011-12 के दौरान जारी रहेगी। पिछले बजट में, मैंने उन किसानों को अतिरिक्त 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता प्रदान की थी, जिन्होंने अपनी फसल ऋण की वापसी समय पर की थी। इस योजना की प्रतिक्रिया अच्छी रही। इन किसानों को और प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, मैं 2011-12 में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त सहायता देने का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रकार,ऐसे किसानों के लिए प्रभावी ब्याज दर 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी। (नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवा विभाग)	भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और सरकारी क्षेत्र के बैंकों को आवश्यक आदेश 30 दिसम्बर, 2011 को जारी किए गए हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***
41	64	कृषि ऋण के प्रवाह हेतु वर्धित लक्ष्य को देखते हुए, मैं सरकार की इक्विटी के रूप में चरणबद्ध तरीके से ₹ 3,000 करोड़ लगा कर नाबार्ड के पूँजी आधार को मजबूत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे इसकी प्रदत्त पूँजी बढ़कर ₹ 5,000 करोड़ हो जाएगी। नाबार्ड सहकारी ऋण संस्थाओं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अल्पावधिक फसल ऋणों को रियायती दरों पर पुनर्वित्त पोषण कर सके, इसके हेतु, मैं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र उधार की कमी से 2011-12 के लिए नाबार्ड की अल्पावधिक ग्रामीण ऋण निधि में ₹ 10,000 करोड़ का अंशदान करने का प्रस्ताव करता हूँ। (नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवा विभाग)	मंत्रिमंडल ने नाबार्ड में ₹ 3000 करोड़ की पूंजी दो किस्तों में लगाने की स्वीकृति दी (2011-12 में ₹ 1000 करोड़ तथा 2012-13 में ₹ 2000 करोड़)। वर्ष 2011-12 के लिए निधियां जारी की जा रही हैं। रियायती दरों पर सहकारी ऋण संस्थाओं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लघु आवधिक फसल ऋणों को पुनः वित्त-पोषित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक को 18 अप्रैल, 2011 को प्रशासनिक आदेश जारी किए हैं ताकि नाबार्ड को निधियां आबंटित की जा सके। ***कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण***
42	65	**मेगा फूड पार्क** सब्जियों और फलों के बढ़ते उत्पादन के बावजूद इनकी उपलब्धता खुदरा क्षेत्र में कई अड़चनों की वजह से अपर्याप्त हैं। भारत में फल और सब्जी उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत भाग भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और परिवहन अवसंरचना की कमी के कारण बरबाद हो	मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य संबंधी समिति ने 25 अक्तूबर, 2011 को आयोजित अपनी बैठक में, इस समय चल रही 15 परियोजनाओं के अतिरिक्त, 15 नए मेगा फूड पार्कों की स्थापना को अनुमोदित किया है। ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		जाता है। इन मुद्दों के समाधान के लिए ग्यारहवी योजना में 30 मेगा फूड पार्कों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया था। अब तक, 15 ऐसे पार्कों को मंजूरी दी गई है। 2011-12 में 15 और मेगा फूड पार्कों की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है। (नोडल मंत्रालय/विभागः खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय)	
43	66	**भंडारण क्षमता और कोल्ड स्टोरेज श्रृंखलाएं** 2008 से 2010 के वर्षों में खाद्यान्न अधिप्राप्ति के अत्यधिक उच्च स्तर देखे गए। 1 जनवरी, 2011 को, केंद्रीय पूल में खाद्यान्न भंडार 470 लाख मीट्रिक टन हो गया था जो 1 जनवरी, 2007 के 174 लाख मीट्रिक टन की अपेक्षा में 2.7 गुना अधिक है। इतनी बड़ी मात्रा को रखने के लिए, भंडारण क्षमता बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। निजी उद्यमियों और भांडागारण निगमों के जरिए 150 लाख मीट्रिक टन की नई भंडारण क्षमता के सृजन की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। लोक उद्यमी गारंटी (पेग) योजना के तहत, आधुनिक खत्तियों (साइलो) के जरिए, 20 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता सृजित करने का निर्णय लिया गया है। जहां हम मार्च, 2011 तक मौजूदा मंजूरीं के आधार पर लगभग 2.6 लाख टन की क्षमता बढ़ा लेंगे, वहा मार्च, 2012 तक अतिरिक्त क्षमता बढ़कर 40 लाख टन की हो जाएगी। वर्ष 2011-12 के दौरान, ग्रामीण गोदाम योजना के तहत, अन्य 24 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता का सृजन कर लिया गया है। (नोडल मंत्रालय/विभागः खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग)	निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना के अंतर्गत, निजी उद्यमियों, केन्द्रीय भांडागार निगम तथा राज्य भांडागार निगमों के माध्यम से 19 राज्यों में लगभग 151 लाख टन भण्डारण क्षमता का निर्माण करना अनुमोदित हुआ है। निजी उद्यमियों द्वारा लगभग 88 लाख टन भंडारण क्षमता के निर्माण को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है। केन्द्रीय भांडागार निगम को 5.4 लाख टन आबंटित किया गया है, राज्य भांडागार निगमों को 14.6 लाख टन आबंटित किया गया है। इनमें से केन्द्रीय भांडागार निगम/राज्य भांडागार निगमों द्वारा लगभग 4 लाख टन पहले ही पूरा किया जा चुका है। 31 मार्च, 2012 तक 32.70 लाख मीट्रिक टन क्षमता का निर्माण होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, सिलो के माध्यम से 2 एमएमटी अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण किया जाएगा। ईजीओएम के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय को ईजीओएम के विचारार्थ नोट भेज दिया गया है। ***कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण***
44	67	कोल्ड स्टोरेज परियोजनाओं में निवेश तेजी पकड़ रहा है। इस वर्ष 1.4 लाख मीट्रिक टन की क्षमता वाली 24 कोल्ड स्टोरेज परियोजनाओं को राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, 5 लाख मीट्रिक टन से अधिक की क्षमता की 107 कोल्ड स्टोरेज परियोजनाओं को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। (नोडल मंत्रालय/विभागः कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय)	देश में शीत भण्डारण अवसंरचना के विकास हेतु एनएचएम, एनएचबी तथा एचएमएनईएच के माध्यम से आयोजनागत योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। जनवरी 2012 तक, एनएचएम के अधीन 3.55 लाख मी0टन क्षमता के 76 शीत भण्डारणों तथा एनएचबी योजना के अधीन 2.49 लाख मी0टन क्षमता के 17 शीत भण्डारणों का निर्माण हो गया है। इसके अतिरिक्त, एनएचएम तथा एचएमएनईएच योजनाओं के अंतर्गत 0.56 लाख मी0टन क्षमता के 15 नियंत्रित वातावरण (सीए) भंडारणों के निर्माण को भी स्वीकृति कर दिया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
45	68	अब से इस क्षेत्र में निवेश जुटाने के लिए, आधुनिक भंडारण क्षमता के सृजन में पूँजी निवेश वित्त मंत्रालय	आवश्यक अधिसूचना 17 मार्च, 2011 को जारी कर दी गई है। ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		की व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण योजना के लिए उपर्युक्त होगा। कोल्ड स्टोरेज श्रृंखलाओं और फसल पश्च भंडारण को अवसंरचना उपक्षेत्र के रूप में मान्यता प्रदान करने का भी प्रस्ताव है। (नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग	
46	69	**कृषि उपज-विपणन अधिनियम** सब्जियों और फलों में मुद्रास्फीति की हाल की घटना ने हमारी आपूर्ति श्रृंखलाओं में गम्भीर खामियां उजागर की हैं। सरकारी विनियमित मंडियां कभी-कभी खुदरा विक्रेताओं को उनके उद्यमों के खाद्य किसानों को एकीकृत होने से रोकती है। राज्य सरकारों के लिए कृषि उपज विपणन अधिनियम की समीक्षा करने और फिर से बने अधिनियम को लागू करने की आवश्यकता है। (नोडल मंत्रालय/विभागः कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय)	माडल अधिनियम, जिसे क्रियान्वयन हेतु पहले ही राज्य सरकारों को परिचालित कर दिया गया है, में ठेके पर खेती-बाड़ी, प्रत्यक्ष विपणन और निजी विपणन के रूप में किसानों को वैकल्पिक विपणन विकल्पों की व्यवस्था की गई है और यह बाजार अवसंरचना और आपूर्ति व्यवस्था में निजी निवेश को प्रोत्साहित करेगा। इन सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विपणन अवसंरचना के विकास/सुदृढ़ीकरण, ग्रेडिंग और मानकीकरण जैसी योजना को बढ़ावा दिया गया है, जहां वे राज्य, जिन्होंने अपेक्षित बाजार सुधार अपना लिए हैं, इस योजना से फायदा उठा सकते हैं। बाजार सुधारों के क्रियान्वयन को गति देने के लिए, 10 राज्यों के कृषि विपणन के प्रभारी राज्य मंत्रियों की एक समिति गठित की गई थी। इसने 8 सितम्बर, 2011 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट की सिफारिशें क्रियान्वित करने के लिए इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
47	71	देश में सार्वजनिक क्षेत्र की आस्तियों के निर्माण हेतु सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के साथ हमारा अनुभव काफी अच्छा रहा है। सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं की पहचान करने, परिकल्पना तैयार करने, ढांचा तैयार करने और प्रबंधन में लोक पदाधिकारियों की क्षमताएं बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम आरम्भ किया है। हमारा यह प्रयास है कि हम एक समेकित नीति तैयार करें जिनका उपयोग केद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा सरकारी निजी भागीदारियों के और विकास में किया जा सके। (नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग)	इस नीति का मसौदा तैयार कर लिया गया है और हित धारकों से व्यापक विचार-विमर्श के लिए पीपीपी संबंधी आर्थिक कार्य विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण किया जा रहा है। ***कार्य प्रगति पर***
48	72	अवसंरचना परियोजनाओं को दीर्घावधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने भारत अवसंरचना वित्त कम्पनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) की स्थापना की है। 31 मार्च, 2011 तक ₹ 20,000 करोड़ और 31	भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड ने 31 दिसंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार, ₹ 19,396 करोड़ का संचयी वितरण लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। वित्त वर्ष 2011-12 की समाप्ति तक ₹25,000 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है।

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		मार्च, 2012 तक ₹ 25,000 करोड़ का संचयी संवितरण लक्ष्य प्राप्त करने की आशा है। बजट 2009-10 में घोषित वित्तपोषण प्राप्त करने की योजना कार्यान्वित कर दी गई है और सात परियोजनाओं को 1500 करोड़ रुपए के ऋण से मंजूरी दी गई है। 2011-12 के दौरान ₹ 5,000 करोड़ की एक अन्य परियोजना को मंजूरी दे दी जाएगी। (नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवा विभाग)	भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड ने 31 दिसंबर, 2011 तक ₹ 2,899 करोड़ की प्राप्त राशि की 20 परियाजनाएं स्वीकृत की हैं। इस योजना को अधिक आकर्षक बनाने के लिए, अंतरित वित्तपोषण योजना में सरकार द्वारा कुछ संशोधन अनुमोदित किए गए हैं। 31 मार्च, 2012 तक ₹ 5,000 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है। ***कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण***
49	73	रेल, पत्तनों, आवास और राजमार्ग विकास में अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से, मैं वर्ष 2011-12 में विभिन्न सरकारी उपक्रमों द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 30,000 करोड़ के कर मुक्त बांडों की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूं। इसमें भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा ₹ 10,000 करोड़, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के ₹ 10,000 करोड़, हुडको के ₹ 5,000 करोड़ तथा पत्तनों के ₹ 5,000 करोड़ के बांड शामिल हैं। (नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग)	राजस्व विभाग द्वारा आवश्यक अधिसूचना 23 सितंबर, 2011 को जारी की गई है जिसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय रेल वित्त निगम, हुडको और पीएफसी (पत्तनों के स्थान पर) को करमुक्त बंधपत्र जारी करने की अनुमति दी गई है। ***कार्रवाई पूर्ण***
50	74	अवसंरचना वित्तपोषण के लिए विदेशी निधियां जुटाने हेतु, मैं अधिसूचित अवसंरचना ऋण निधियों के रूप में विशेष साधन सृजित करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं अपने भाषण के भाग-ख में इस पर चर्चा करूंगा। (नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग)	सेबी ने तारीख 30 अगस्त, 2011 के आदेशों द्वारा म्युचुअल फंड योजनाओं के रूप में अवसंरचना ऋण निधियों की स्थापना का रास्ता प्रशस्त किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी के रूप में अवसंरचना ऋण निधियों की स्थापना के लिए 22 नवम्बर, 2011 को विनियम जारी किए हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***
51	75	**राष्ट्रीय विनिर्माण नीति** सकल घरेलू उत्पाद की अनवरत वृद्धि और युवा पीढ़ी के लिए उत्पादक रोजगार हेतु, यह आवश्यक है कि विनिर्माण क्षेत्र में विकास बढ़े। हम उम्मीद करते हैं कि दस वर्षों की अवधि के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण की हिस्सेदारी 16 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत हो जाएगी। सरकार विनिर्माण नीति लाएगी जो कि स्व-विनियमन के जरिए अनुपालन भार में कमी लाएगी और भारतीय उद्योगों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने में सहायक होगी। (नोडल मंत्रालय/विभागः औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग)	मंत्रिमंडल द्वारा "राष्ट्रीय विनिर्माण नीति" 25 अक्तूबर, 2011 को अनुमोदित की गई। ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
52	76	प्राकृतिक संसाधन की प्रापण नीति एवं आवंटन, कीमत निर्धारण एवं उपयोग में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए,सरकार ने दो समितियां गठित की हैं। इनकी सिफारिशें तीन महीनों में मिल जाएंगी। (नोडल मंत्रालय/विभागः मंत्रिमंडल सचिवालय)	राष्ट्रीय संसाधन आबंटन समिति और लोक प्रापण समिति नामक दोनों समितियों ने अब अपनी रिपोर्टें क्रमशः 2 जून, 2011 और 13 जून, 2011 को प्रस्तुत कर दी हैं। इन पर मंत्री दल द्वारा विचार किया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
53	77	अवसंरचना और खनन से जुड़े विभागों सहित विविध विभागीय गतिविधियों से उत्पन्न पर्यावरण सम्बन्धी चिंताओ के समाधान से सबंधित सभी विषयों पर विचार-विमर्श करने हेतु, एक मंत्रिदल गठित किया गया है। यह दल मौजूदा संविधियों नियमों, विनियमनों और दिशा-निर्देशों में बदलावों का सुझाव देगा और अपनी सिफारिशें समय-बद्ध रूप से प्रस्तुत करेगा। (नोडल मंत्रालय/विभागः पर्यावरण एवं वन मंत्रालय)	चूंकि गो/नो गो क्षेत्रों में खनन परियोजनाओं की पर्यावरणीय स्वीकृति के मामले की जांच करने के लिए मंत्री दल पहले ही गठित कर दिया गया है अतः इस घोषणा को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए वित्त मंत्रालय और मंत्रिमंडल सचिवालय के परामर्श से और प्रयास किए जा रहे हैं। ***कार्रवाई प्रगति पर***
54	78	भारतीय आटोमोबाइल बाजार विश्व में दूसरा सबसे तेजी से उभरता हुआ बाजार है और इसने इस वर्ष लगभग 30 प्रतिवर्ष की वृद्धि दर दर्शायी है। पूरे विश्व में, हाइब्रिड तथा इलेक्ट्रिक मोबेलिटी के क्षेत्र में भारी निवेश हो रहे हैं। स्वच्छ और साफ सार्वजनिक परिवहन मुहैया कराने के लिए, सभी पण्यधारकों के सहयोग से नेशनल हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन शुरू किया जाएगा। (नोडल मंत्रालय/विभागः भारी उद्योग मंत्रालय)	भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक वाहनों (हाइब्रिड सहित) और उनके कलपुर्जों के विनिर्माण का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी परिषद और राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बोर्ड की स्थापना की गई है। मांग और पूर्ति, अनुसंधान और विकास तथा अवसंरचना के संबंध में तीन कार्य दल भी गठित किए गए हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***
55	79	जेएनएनयूआरएम के तहत 15,260 आधुनिक लो फ्लोर तथा सेमी-लो फ्लोर बसों के वित्तपोषण, ने यात्रियों की आरामदेही के साथ-साथ पूरे भारत में शहरी परिवहन की तस्वीर बदल दी है। वर्ष 2011-12 में, दिल्ली मैट्रो का चरण-III तथा मुम्बई मैट्रो की लाईन-III को शुरू करने का प्रस्ताव है। बेंगलुरु, कोलकाता तथा चेन्नई की चल रही मैट्रो परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। (नोडल मंत्रालय/विभागः शहरी विकास मंत्रालय)	सशक्त मंत्री दल द्वारा दिल्ली मैट्रो का चरण-III पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है तथा कार्यान्वयन के लिए 26 सितंबर, 2011 को उसकी स्वीकृति दी गई है। कार्य चल रहा है। मुम्बई मैट्रो लाइन-III की संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हो गई है और उसका शहरी विकास मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। बंगलोर, कोलकाता और चेन्नई में चल रही मैट्रो रेल परियोजनाओं के लिए आवश्यक निधियां 2011-12 में स्वीकृत की गई हैं। ***कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
56	80	उर्वरक क्षेत्र में निवेश, पूंजी प्रधान होता है और अधिक जोखिम भरा माना जाता है। उर्वरक उत्पादन में अवसंरचनागत उप क्षेत्र के रूप में पूंजी निवेश को शामिल करने का प्रस्ताव है। (नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग)	अवसंरचना की सुमेलित सूची, जिसमें उर्वरकों में पूंजीगत निवेश को अवसंरचना उप-सेक्टर के रूप में शामिल किया गया है, पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। ***कार्रवाई प्रगति पर***
57	81	**निर्यात** हमारी निर्यात प्रक्रियाओं की कार्यक्षमता में सुधार को चिह्नित करने और उसे प्राप्त करने के उपाय सुझाने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा गठित लेनदेन लागत संबंधी कार्यबल ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। कार्य बल द्वारा दिए गए इक्कीस सुझाव क्रियान्वित किए जा चुके हैं। शेष दो पर कार्रवाई अगले दो महीनों में की जाएगी। इससे लेनदेन लागत में लगभग ₹ 2,100 करोड़ की कमी आएगी। (नोडल मंत्रालय/विभागः वाणिज्य विभाग, राजस्व विभाग)	सभी सीमाशुल्क अवस्थितियों के लिए एकल बंधपत्र दर्ज करने के संबंध में सिफारिश को कार्यान्वित किया गया है। भारत से निर्यात की गई अनेक वस्तुओं के लिए निर्यातों के जहाज तक निःशुल्क मूल्य के 0.03 प्रतिशत से 0.20 प्रतिशत तक सेवा कर वापसी की औसत दरों की व्यवस्था के लिए आवश्यक अधिसूचना 30 दिसंबर, 2011 को जारी की गई हैं। यह वापसी भारतीय सीमाशुल्क ईडीआई सिस्टम द्वारा की जा सकेगी जिसके परिणामस्वरूप निर्यात की पहुंच के कुछेक दिनों के भीतर निर्यातकों के बैंक खाते में राशि सीधे जमा की जा सकेगी। ***कार्रवाई पूर्ण***
58	82	सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा कार्गो की शीघ्र निकासी करने तथा सीमा शुल्क प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए, मैं सीमा शुल्क में स्व-निर्धारण की शुरूआत करने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके तहत, आयातक और निर्यातक ईडीआई प्रणाली मे अपनी घोषणाओं को प्रस्तुत करते समय अपनी शुल्क संबंधी देयताओं का स्वंय निर्धारण करेंगे। विभाग एक चुनिंदा प्रणाली प्रेरक आधार पर ऐसे निर्धारणों का सत्यापन करेगा। (नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग)	सीमाशुल्क में स्व-निर्धारण का उपबंध वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की संगत धारा में जोड़ा गया है। व्यापार और विभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए सेवा निर्धारण हेतु कतिपय उपबंध भी किए गए हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***
59	83	वस्तुओं के निर्यात के लिए प्रयुक्त सेवाओं पर प्रदत्त कर से संबंधित वापसियों की मंजूरी में बहुत कठिनाइयां आती रही हैं। मैं, एक अधिक सरलीकृत तथा शीघ्र तरीके से शुल्क वापसी की तर्ज पर इन करों की वापसी हेतु जल्दी ही एक स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। एक नई स्कीम भी शुरू की जा रही है जिसमें विशेष आर्थिक जोन (सेज) में कार्यरत इकाइयां जोन के भीतर पूरी तरह उपभोग में लाई गई सेवाओं की कर-मुक्त रसीद तथा उनकी वापसियां आसान तरीके से प्राप्त कर सकेंगे। (नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग)	भारत से निर्यात की गई अनेक वस्तुओं के लिए निर्यातों के जहाज तक निःशुल्क मूल्य के 0.03 प्रतिशत से 0.20 प्रतिशत तक सेवा कर वापसी की औसत दरों की व्यवस्था के लिए आवश्यक अधिसूचना 30 दिसंबर, 2011 को जारी की गई है। यह वापसी निर्यातकों के बैंक खाते में सीधे जमा कर दी जाएगी। इसके अलावा, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में आवश्यक अधिसूचनाएं भी 1 मार्च, 2011 को जारी की गई हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
60	84	मेगा क्लस्टरों में रोजगार और निर्यात की भारी संभावना है। मैं, चमड़े के उत्पादों के विकास के लिए यह मेगा क्लस्टर स्कीम लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ। 2011-12 में सात मेगा लेदर क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। मैं, हस्तशिल्प मेगा क्लस्टर के विकास हेतु जोधपुर को शामिल किए जाने का भी प्रस्ताव करता हूँ। (नोडल मंत्रालय/विभागः कपड़ा मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)	मेगा लेदर क्लस्टर्स की स्थापना के लिए व्यय वित्त समिति द्वारा स्वीकृति दिए जाने के पश्चात, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन के लिए अनुरोध किया गया है। जोधपुर को हस्तशिल्प मेगा क्लस्टर्स के विकास हेतु सम्मिलित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। ***कार्रवाई प्रगति पर***
61	87	इस वर्ष हमने 10 मौजूदा दोहरे कराधान परिवर्जन करारों के प्रावधानों के संशोधन सहित 11 कर सूचना आदान प्रदान करार (टीआईईए) और 13 नए दोहरे कराधान परिवर्जन करारों (डीटीएए) पर विचार विमर्श किया है। कर सूचना के आदान-प्रदान तथा मूल्य निर्धारण अंतरण सम्बन्धी मामलों पर प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के विदेशी कर प्रभाग को सुदृढ़ किया गया है। इस मामले पर कार्य करने के लिए सूचना के आदान-प्रदान हेतु, एक समर्पित प्रकोष्ठ स्थापित किया जा रहा है। (नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग)	कर सूचना आदान-प्रदान तथा मूल्य निर्धारण अंतरण विषयों में वृद्धि से कारगर रूप से निपटने के लिए समर्पित प्रकोष्ठ द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक साफ्टवेयर अनुप्रयोग विकसित किया गया है। सूचना के आदान-प्रदान के लिए प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। ***कार्रवाई पूर्ण***
62	89	वित्त मंत्रालय द्वारा बेहिसाबी आय और देश के बाहर एवं देश में रखे गए धन के संबंध में एक अध्ययन शुरू किया गया है। यह इस धन पर कर लगाने एवं इस धन को देश में वापस लाने के तौर-तरीके सुझाएगा। (नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग)	अपने देश में तथा देश के बाहर रखे गए बेहिसाबी आय और धन के संबंध में अध्ययन करने हेतु केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और 3 संस्थाओं के बीच समझौता ज्ञापन पर 21 मार्च, 2011 को हस्ताक्षर किए गए हैं। यह अध्ययन समझौता ज्ञापन की तारीख से 18 माह की अवधि के भीतर पूर्ण हो जाएगा। ***कार्रवाई पूर्ण***
63	90	स्वापक औषधियों का अवैध व्यापार भी काले धन का एक बहुत बड़ा जरिया है। इस अवैध व्यापार और मनोचिकित्सीय पदार्थों के निवारण नियंत्रणों को कठोर बनाने के लिए, मैं निकट भविष्य में व्यापक राष्ट्रीय नीति घोषित करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग)	राष्ट्रीय स्वापक औषधि और मनोचिकित्सीय पदार्थ नीति सरकार द्वारा 12 जनवरी, 2012 को अनुमोदित की गई। ***कार्रवाई पूर्ण***
64	91	संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने समावेशी विकास पर ध्यान देते हुए सार्वजनिक नीति में प्रमुख दिशापरक परिवर्तन किया है। व्यक्ति के काम के अधिकार के लिए विधिक हकदारियों के सृजन ने हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 लोकसभा में 22 दिसंबर, 2011 को पुरःस्थापित किया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		में समुत्थान शक्ति और उर्जास्विता दोनों को संचरित किया है। सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार सशक्तीकरण के वे प्रभावशाली हथियार हैं जिनसे हमारे वह सामाजिक असन्तुलन अवश्य दूर होंगे। देश ने भूख और कुपोषण को बहुत झेला है। राज्य सरकारों सहित सभी पण्यधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक (एनएफएसबी) को अंतिम रूप देने वाले हैं। इसे इस वर्ष शीघ्र ही संसद में पेश किया जाएगा। 2011-12 में सामाजिक क्षेत्र में ₹ 1,60,887 करोड़ के आबंटन का प्रस्ताव है जो पिछले वर्ष में 17 फीसदी अधिक है, यह कुल आयोजना आबंटन का 36.4 प्रतिशत बैठता है। (नोडल मंत्रालय/विभागः खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग)	
65	92	**भारत निर्माण** संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के फ्लैगशिप योजनाएं समावेशी विकास के इसके एजेंडे को लागू कराने के मुख्य साधन रही हैं। भारत निर्माण के प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), त्वरित सिंचाई सुविधा कार्यक्रम, राजीव गांधी ग्रामी./ विद्युतीकरण योजना, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, तथा ग्रामीण टेलीफोनी सम्मलित हैं। वर्ष 2011-12 के लिए भारत निर्माण को कुल मिलाकर, ₹ 58,000 करोड़ आबंटित किए गए हैं। यह मौजूदा वर्ष से ₹ 10,000 करोड़ अधिक है। देश में सभी 250,000 पंचायतों को तीन वर्ष में ग्रामीण ब्रॉडबैण्ड कनेक्टिविटी मुहैया कराने के लिए एक योजना को अंतिम रूप दिया गया है । (नोडल मंत्रालय/विभागः ग्रामीण विकास विभाग, दूरसंचार विभाग)	62,302 गांवों में से, 62,046 गांवों में ग्राम लोक टेलीफोन उपलब्ध कराए गए हैं। शेष 256 गांवों में ग्राम लोक टेलीफोन, डिजिटल सैटलाइट फोन टर्मिनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे जिसके लिए बीएसएनएल द्वारा डिजिटल सैटलाइट फोन टर्मिनल्स की अधिप्राप्ति का कार्य चल रहा है। दिसंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण टेली घनत्व 37.52 प्रतिशत है। जनवरी, 2012 की स्थिति के अनुसार, 1,43,714 पंचायतों को ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ***कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण***
66	93	**महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीनरेगा)** 100 रुपए की वास्तविक दैनिक मजदूरी दिलाने के बारे में मेरी पिछली बजट घोषणा के अनुसरण में सरकार ने एमजीनरेगा के तहत कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। इससे 14 जनवरी, 2011 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मजदूरी बढ़ गई है। इसके चलते देश भर में फैले लाभार्थियों की मजदूरी में वृद्धि हुई है। (नोडल मंत्रालय/विभागः ग्रामीण विकास विभाग)	इस मामले की जांच करने के लिए एक समिति बनाई गई है। इसकी रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है। ***(कार्य प्रगति पर)***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
67	94	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायक एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम की रीढ़ है। मैं प्रसन्नतापूर्वक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा आंगनबाड़ी सहायकों का मेहनताना बढ़ाकर क्रमशः ₹ 1,500 से ₹ 3,000 तथा ₹ 750 से ₹ 1,500 प्रतिमाह करने की घोषणा करता हूं। यह 1 अप्रैल, 2011 से लागू होगा। पूरे देश में करीब 22 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायक इस वृद्धि से लाभान्वित होंगे। (नोडल मंत्रालय/विभागः महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)	आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों का मानदेय बढ़ाने के लिए सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को 11 जुलाई, 2011 को पत्र लिखे गए हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***
68	96	**शिक्षा** विकसित देशों की तुलना में अपेक्षाकृत युवा आबादी का हमारा "जनसांख्यिकी लाभांश" चुनौती से कहीं बढ़कर एक अवसर है। 2025 में 70 प्रतिशत से अधिक भारतीय काम-काजी आयु के होंगे। इस संदर्भ में, माध्यमिक शिक्षा सभी के लिए सुलभ बनाने, उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में हमारे विद्वानों की प्रतिशतता को बढ़ाने और कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था करना अत्यावश्यक है। मैं शिक्षा के लिए ₹ 52,057 करोड़ के आबंटन का प्रस्ताव करता हूं जो मौजूदा वर्ष की तुलना में 24 प्रतिशत अधिक है। (नोडल मंत्रालय/विभागः विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग)	अपेक्षित आबंटन कर दिया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
69	97	**सर्वशिक्षा अभियान** बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार को लागू करने के लिए सर्वशिक्षा अभियान के मौजूदा संचालन संबंधी मानकों को संशोधित किया गया है। यह 1 अप्रैल, 2010 से लागू है। वर्ष 2011-12 के लिए, मैं ₹ 21,000 करोड़ के आबंटन का प्रस्ताव रखता हूं। यह 2010-11 के बजट में किए गए ₹ 15,000 करोड़ के आबंटन से 40 प्रतिशत अधिक है। 'माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायिकरण' नामक एक संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना हमारे युवाओं में रोजगार की स्थिति में सुधार हेतु 2011-12 से कार्यान्वित की जाएगी। (नोडल मंत्रालय/विभागः विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग)	वर्ष 2011-12 के लिए सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्ययोजनाएं और बजट पूरे हो गए हैं। अभी तक सर्वशिक्षा अभियान के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कार्यान्वयन सोसाइटियों को ₹ 19,53,525 लाख (बजट अनुमान का 93 प्रतिशत) जारी किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए अब तक ₹ 4.97 करोड़ की राशि जारी की गई है। ***कार्रवाई पूर्ण***
70	98	सशक्तीकरण शिक्षा से जन्म लेता है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने जहां मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों में	योजना आयोग द्वारा छात्रवृत्ति योजना "सिद्धांतत": अनुमोदित कर दी गई है।

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की पहुंच को भी सुगम बनाया है, वहीं अभी तक मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम में अभाव सा चल रहा था। वर्ष 2011-12 में, मैं नौंवी तथा दसवीं कक्षा में पढ़ रहे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए एक छात्रवृत्ति स्कीम शुरु करने का प्रस्ताव करता हूं। इससे अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के तकरीबन 40 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। (नोडल मंत्रालय/विभागः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय)	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 1 जनवरी, 2012 से नई केंद्र प्रायोजित मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति योजना शुरू करने संबंधी प्रस्ताव व्यय वित्त समिति द्वारा संस्तुत किया गया है। योजना आयोग के परामर्श से इस योजना के दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए नई केंद्र प्रायोजित मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति योजना को शुरू करने के संबंध में, व्यय वित्त समिति का ज्ञापन विचाराधीन है। ***कार्य प्रगति पर***
71	99	**राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क** मार्च, 2010 में अनुमोदित राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एन.के.एन), ऑप्टिकल फाइबर आधार रेखा के जरिए 1500 उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान संस्थान को जोड़ेगा। मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान 190 संस्थानों को राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। चूंकि आधार मार्च, 2011 तक तैयार होगा, अतः सभी 1500 संस्थानों को मार्च, 2012 तक कनेक्टिविटी मुहैया कराई जा सकेगी। (नोडल मंत्रालय/विभागः सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)	कुल 639 संस्थाओं को इस नेटवर्क में जोड़ा गया है और उन्हें क्रियाशील बनाया गया है। इसके अंतर्गत एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के अधीन उपलब्ध कराए गए 172 लिंक सम्मिलित हैं, जिन्हें अब राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क में डाल दिया गया है। विभिन्न मौजूदा एनआईसी/राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क केंद्रों के बीच 82 मूल लिंक स्थापित किए गए हैं। ***कार्य प्रगति पर***
72	100	**नवाचार** अनुसंधान एवं विकास के औपचारिक प्रतिमान से बाहर निकलने के लिए, भारत में नवाचारों के सूत्रपात के लिए एक रूपरेखा तैयार करने की दृष्टि से श्री सैम पित्रोदा के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय नवाचार परिषद गठित की गई है। इसी की तर्ज पर प्रत्येक राज्य में राज्य नवाचार परिषदें तथा केंद्रीय मंत्रालयों से सम्बद्ध क्षेत्रीय नवाचार परिषदों के गठन की प्रक्रिया जारी है। (नोडल मंत्रालय/विभागः योजना आयोग)	21 राज्यों ने राज्य नवाचार परिषदें गठित की हैं। कई अन्य राज्यों ने इन्हें शीघ्रातिशीघ्र गठित किए जाने की अपनी प्रतिबद्धता दर्शायी है। 18 मंत्रालयों/21 सेक्टरों ने भी क्षेत्रीय नवाचार परिषदें गठित की हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***
73	101	विश्वविद्यालयों तथा अकादमिक संस्थाओं में उत्कृष्टता को स्वीकार करने हेतु सरकार विशेष अनुदान मुहैया कराती रही है। 2011-12 के लिए, मैं निम्नलिखित के लिए व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं: • पं. बंगाल में मुर्शिदाबाद तथा केरल में मल्लापुरम में स्थित किए जाने वाले अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के प्रत्येक भावी केंद्र को ₹ 50 करोड़;	अनुदान जारी करने के लिए कार्रवाई जारी है।

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		• पुकौड, केरल में केरल पशुचिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को ₹ 100 करोड़ का एक मुश्त अनुदान;	अनुदान जारी करने के लिए कार्रवाई जारी है।
		• महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के कोलकाता तथा इलाहाबाद में केंद्रों की स्थापना हेतु प्रत्येक के लिए ₹ 10 करोड़;	अनुदान जारी करने के लिए कार्रवाई जारी है।
		• एकबारगी अनुदान के रूप में आई.आई.टी, खड़गपुर को ₹ 200 करोड़;	अनुदान जारी करने के लिए कार्रवाई जारी है।
		• राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास केंद्र, श्रीपेरूम्बुदुर तमिलनाडु के लिए ₹ 20 करोड़;	अनुदान जारी करने के लिए कार्रवाई जारी है।
		• आईआईएम, कोलकाता को उनकी वित्तीय अनुसंधान एवं व्यापार प्रयोगशाला की स्थापना में सहायता हेतु ₹ 20 करोड़;	आवश्यक सहायता अनुदान जारी कर दिया गया है।
		• मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान के लिए ₹ 200 करोड़;	₹ 150 करोड़ का विशिष्ट अनुदान जारी कर दिया गया है। शेष राशि, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति का अनुमोदन प्राप्त होने पर जारी कर दी जाएगी।
		• सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एण्ड रतन टाटा लाइब्रेरी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली के लिए ₹ 10 करोड़; और	प्रशासनिक स्वीकृति आदेश जारी किए जा रहे हैं।
		• मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए ₹ 10 करोड़ ।	आवश्यक सहायता अनुदान जारी कर दिया गया है।
			कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण
		(नोडल मंत्रालय/विभागः उच्चतर शिक्षा विभाग, पशुपालन दुग्ध कार्य और मात्स्यिकीविभाग; अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग)	
74	102	**कौशल विकास** मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एनएसडीसी) 15 करोड़ कुशल श्रमिकों के सृजन सम्बन्धी अपना अधिशेष नियत लक्ष्य वर्ष, 2022 से दो वर्ष पहले प्राप्त करने की राह पर अग्रसर है। यह कुल ₹ 658 करोड़ के वित्तपोषण से 26 परियोजनाओं को पहले ही स्वीकृत कर चुका है। यह उम्मीद है कि इन परियोजनाओं से ही अगले दस वर्षों में 4 करोड़ से अधिक कुशल श्रमिक तैयार कर किए जाएंगे। चालू वर्ष में, 20,000 व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण दिलाया गया है। इनमें से, 75 प्रतिशत रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। अगले वर्ष, मैं राष्ट्रीय कौशल विकास निधि को अतिरिक्त ₹ 500 करोड़ मुहैया कराऊंगा।	राष्ट्रीय कौशल विकास निधि के लिए ₹ 500 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई गई है। ***कार्रवाई पूर्ण***
		(नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग)	

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
75.	103.	गुरुदेव रवीद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयन्ती मनाने के राष्ट्रीय समारोह 7 मई, 2011 से नई दिल्ली में शुरू होंगे। यूरोप, अमरीका और एशिया के कई देशों में महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारत-बांग्लादेश समारोह समिति के संयुक्त तत्वावधान में अनेक उत्सव आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। गुरूदेव रवींद्रनाथ टैगोर की स्मृति में विश्व-बन्धुत्व के मूल्यों के संवर्धन के लिए ₹1 करोड़ का अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी स्थापित किया जा रहा है। (नोडल मंत्रालय/विभागः संस्कृति मंत्रालय)	गुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर की स्मृति में विश्व-बंधुत्व के मूल्यों के संवर्धन के लिए ₹1 करोड़ की धनराशि से एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
76.	104.	**स्वास्थ्य** स्वास्थ्य के सम्बन्ध में, मैं 2011-12 में आयोजना व्यय को 20 प्रतिशत तक बढ़ाकर ₹26,760 करोड़ करने का प्रस्ताव करता हूं। गरीब और सीमान्त मजदूरों को प्राथमिक स्वास्थ्य बीमा रक्षा आवरण मुहैया कराने के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एक कारगर साधन बनकर उभरी है। अब इसका विस्तार एमजीनरेगा लाभार्थियों, बीड़ी कामगारों तथा अन्य तक किया जा रहा है। वर्ष 2011-12 में, मैं जोखिम भरे खनन तथा स्लेट और स्लेट पेंसिल, डोलोमाइट, माइका और एसबेस्टेस आदि सम्बद्ध उद्योगों में काम कर रहे असंगठित क्षत्र के कामगारों को भी इसके अंतर्गत लाने के लिए इस स्कीम का विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभागः श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)	जोखिम भरे खनन और स्लेट व स्लेट पेंसिल, डोलोमाइट, माइका एवं एस्बेस्टोस आदि संबद्ध उद्योगों में काम कर रहे असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार करने हेतु प्रक्रियाओं का ब्यौरा तैयार करने और उनकी सिफारिश सरकार को करने के लिए, एक कृतिक बल गठित किया गया है। मामले पर सक्रिय रूप से विचार चल रहा है। ***कार्य प्रगति पर***
77.	105.	**वित्तीय समावेशन** मैंने, अपने पिछले बजट भाषण में बैंकों को मार्च 2012 तक 2000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने की सलाह दी थी। बैंकों ने समुचित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराने के लिए ऐसी 73,000 बस्तियों को अभिचिन्हित किया है। लोगों को बैंक खाते खोलने के लिए सूचित, शिक्षित व अभिप्रेरित करने हेतु एक मल्टी मीडिया अभियान 'स्वाभिमान' शुरू किया गया है। इस वर्ष के दौरान बैंक 20,000 गांवों को इसके अंतर्गत सम्मिलित करेंगे। शेष गांवों को 2011-12 में शामिल कर लिया जाएगा। (नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवा विभाग)	30 नवंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार, लगभग 49,000 गांवों को इस अभियान के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। सभी बैंकों और संबंधित राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि शेष गांवों को मार्च, 2012 तक सम्मिलित कर लिया जाए। ***कार्य प्रगति पर***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
78.	106.	**असंगठित क्षेत्र** मैने, बजट 2010-11 में, स्वावलंबन नामक एक सह-अंशदायी पेंशन स्कीम की घोषणा की थी। असंगठित क्षेत्र के कामगारों द्वारा इस स्कीम का स्वागत किया गया है। अब तक, 4 लाख से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। प्राप्त फीडबैक के आधार पर, मैं निकास मानकों में छूट दे रहा हूं जिसके द्वारा स्वावलंबन के अन्तर्गत किसी भी अंशदाता में 60 वर्ष के बजाय 50 वर्ष, या 20 वर्ष को न्यूनतम अवधि, इनमें से जो भी परवर्ती हो, के बाद निकासी की अनुमति होगी। मैं, वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान स्वावलंबन योजना में नामांकित हो चुके सभी अंशधारकों को तीन से पांच वर्षों तक सरकारी अंशदान का फायदा देने का प्रस्ताव करता हूं। जैसा कि अनुमान है, मार्च, 2012 तक 20 लाख लाभार्थी इस स्कीम में शामिल होंगे। (नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवा विभाग)	शीघ्र निकासी और सरकारों से अंशदान की अधिक दीर्घावधि का फायदा देने की स्वावलंबन योजना के लिए संचालनात्मक दिशा-निर्देशों में समुचित संशोधन, अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के परामर्श से, तैयार किए जा रहे हैं। जनवरी, 2012 तक, ''स्वावलंबन'' योजना के अंतर्गत वस्तुतः 1,62,614 लाभार्थियों को सम्मिलित किया गया है। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को निदेश दिया गया है कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को नामांकित किया जाए। इसके अलावा, एलआईसी को नामांकन करने के लिए सहयोजक बनाया गया है। ***कार्य प्रगति पर***
79.	107.	गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे लाभार्थियों के लिए मौजूदा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम के तहत व्यक्ति अर्हता 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का प्रस्ताव है। जो 80 वर्ष या इसके अधिक आयु के हैं, उनके लिए पेंशन ₹200 से बढ़ाकर ₹500 किए जाने का प्रस्ताव है। (नोडल मंत्रालय/विभागः ग्रामीण विकास विभाग)	ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आवश्यक अधिसूचना 30 जून, 2011 को जारी की गई। ***कार्रवाई पूर्ण***
80.	108.	**पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन** *वन* वनों का संरक्षण तथा वनरोपण का परिस्थितिकी, आर्थिक और सामाजिक महत्व है। हमारी सरकार ने दस वर्षीय भारत मिशन की एक महत्वाकांक्षी स्कीम शुरू की है। वर्ष 2011-12 में इसका क्रियान्वयन शुरु करने के लिए, मैं राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि में से ₹200 करोड़ आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभागः पर्यावरण एवं वन मंत्रालय)	वित्त वर्ष 2011-12 के लिए वनों के संरक्षण एवं पुनःरोपण हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से ग्रीन इंडिया मिशन के लिए अभी तक ₹50 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। इसके अलावा, ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत क्रियाकलापों के संबंध में और अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए ग्रीन इंडिया मिशन संबंधी एक संचालन समिति गठित की गई है। ***कार्य प्रगति पर***
81.	109.	**पर्यावरणीय प्रबंधन** पर्यावरणीय प्रदूषण देशभर में एक गंभीर लोक स्वास्थ्य संबंधी चिंता के रूप में उभरा है। मैं, पर्यावरणीय	परियोजना संचालन समिति की पहली बैठक संबंधित राज्यों के साथ 9 नवंबर, 2011 को आयोजित की गई। तत्पश्चात इस

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		सुधार उपाय कार्यक्रमों की शुरुआत करने के लिए 2011-12 में केंद्र के अंशदान के तौर पर राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से ₹200 करोड़ आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभागः पर्यावरण एवं वन मंत्रालय)	योजना के क्रियान्वयन पहलू को अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकारों के साथ एक बैठक 30 नवंबर, 2011 को की गई। वर्ष 2011-12 के लिए अभी तक राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि से ₹10 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। ***कार्य प्रगति पर***
82.	110.	**नदियों तथा झीलों की सफाई** राष्ट्रीय गंगा नदी थाला प्राधिकरण के तहत, 2010-11 में कई परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। इस रफ्तार को और बढ़ाया जाएगा। सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व की कई नदियां और झीलें हैं जिनकी सफाई किए जाने की जरुरत है। वर्ष 2011-12 में, मैं, गंगा नदी को छोड़कर, कुछ महत्वपूर्ण झीलों तथा नदियों की सफाई हेतु ₹200 करोड़ का विशेष आवंटन करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभागः पर्यावरण एवं वन मंत्रालय)	राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत राज्य सरकारों से विस्तृत परियोजना रिपोर्टें मंगाई गई हैं। अहमदाबाद में साबरमती नदी (चरण-।।), हैदराबाद में मुसी नदी (चरण-।।) तथा पानीपत एवं सोनीपत में यमुना नदी के संरक्षण के लिए प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों पर कार्रवाई चल रही है/का मूल्यांकन किया जा रहा है और ये कार्रवाई/मूल्यांकन की उन्नत अवस्था पर हैं। अभिचिह्नित परियोजनाओं की क्रियान्वयन अवधि लगभग तीन वर्ष होगी। ***कार्य प्रगति पर***
83.	112.	सरकार ने प्रधानमंत्री की पुनर्निर्माण योजना में जम्मू-कश्मीर को ₹28,000 करोड़ की विशेष सहायता दी है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा वर्ष में लगभग ₹8,000 करोड़ विकासात्मक जरुरतों के लिए दिए गए हैं। राज्य के लद्दाख और जम्मू क्षेत्रों में 24 माह के भीतर समाधान किए जा सकने वाली अवसंरचनात्मक जरुरतों के निर्धारण के लिए बने कार्यदल ने क्रमशः ₹416 करोड़ और ₹497 करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं की सिफारिश की है। मैं, 2011-12 में इन चिह्नित परियोजनाओं हेतु लद्दाख के लिए ₹100 करोड़ तथा जम्मू के लिए ₹150 करोड़ की व्यवस्था कर रहा हूं। (नोडल मंत्रालय/विभागः गृह मंत्रालय)	जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार को ₹250 करोड़ की निधि 6 सितंबर, 2011 को मंजूर की गई है। ***कार्रवाई पूर्ण***
84.	114.	वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिलों से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए, दिसम्बर 2010 में 60 चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों के लिए एक एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) शुरु की गई थी। यह स्कीम वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान क्रमशः ₹25 करोड़ और ₹30 करोड़ के 100 प्रतिशत एक मुश्त अनुदान के साथ कार्यान्वित की जा रही है। आवंटित निधियां जिला स्तर की समितियों के नियंत्रण में रखी जाती हैं जो स्थानीय जरुरतों के अनुसार विकास	इस कार्यक्रम के अंतर्गत मूल रूप से शामिल 60 जिलों को ₹2,630 करोड़ की धनराशि जारी की गई है। इसके अलावा, 7 दिसंबर, 2011 को इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए गए 18 जिलों के लिए ₹30-30 करोड़ के हिसाब से ₹540 करोड़ की राशि 29 दिसंबर, 2011 को जारी की गई है। सरकार ने यह भी अनुमोदित कर दिया है कि एकीकृत कार्य योजना को उसके वर्तमान रूप में वर्ष 2012-13 के लिए भी जारी रखा जाए। जमीनी स्तर पर तत्काल उपचारात्मक उपाय करने के लिए, इस एकीकृत कार्य योजना की मानीटरी/समीक्षा राज्यों/जिलों के साथ नियमित

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		योजनाओं पर खर्च करने के लिए स्वतंत्र हैं। (नोडल मंत्रालय/विभागः योजना आयोग, गृह मंत्रालय)	वीडियो कांफ्रेंसिस के माध्यम से की जा रही है। प्रगति को एमआईएस पर भी अपलोड किया जा रहा है। ***कार्रवाई पूर्ण***
85.	115.	वामपंथी अतिवाद का मुकाबला करने में लगे केंद्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के जवानों द्वारा दी गई शहादत के सम्मान में, 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए ₹9 लाख की एकमुश्त अनुग्रह क्षतिपूर्ति अब रक्षा एवं अर्द्ध सैनिक बलों के उन कर्मियों को मंजूर की जाएगी जो सरकारी सेवा में आई अथवा हुई विकलांगता के कारण चिकित्सा के आधार पर नौकरी से निवृत्त हो जाते हैं। 20 से 99 प्रतिशत तक विकलांगता वाले कर्मियों को अनुपातिक राशि दी जाएगी। (नोडल मंत्रालय/विभागः भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, गृह मंत्रालय)	केंद्रीय अर्ध-सैनिक बलों के संबंध में आवश्यक आदेश गृह मंत्रालय द्वारा 21 अप्रैल, 2011 को जारी किए गए हैं। रक्षा सेवा अधिकारियों और सैन्य अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों, जो सैन्य सेवा के लिए आई विकलांगता के कारण सेवा से निवृत्त हो जाते हैं, को अनुग्रह की एकमुश्त क्षतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में इसी प्रकार के आदेश रक्षा मंत्रालय द्वारा 26 दिसंबर, 2011 को जारी किए गए हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***
86.	117.	न्याय देने में शीघ्रता लाने के लिए, न्याय विभाग के 2011-12 के आयोजना प्रावधान में तीगुनी वृद्धि करके इसे ₹1,000 करोड़ किया गया है। इस बढ़े हुए प्रावधान से कानूनी अवसंरचना निर्माण तथा ई-न्यायालय संबंधी परियोजना निर्माण कार्य में मदद मिलेगी। (नोडल मंत्रालय/विभागः न्याय विभाग)	₹1000 करोड़ की निधियों का आवश्यक आबंटन कर दिया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
87.	119.	जनगणना 2011 में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर, जातियों की गणना करने की जबर्दस्त मांग की अनुक्रिया में यह निर्णय लिया गया है कि 'जाति' की गणना के लिए एक पृथक समयबद्ध कवायद की जाएगी। यह जून 2011 में शुरु होगी और 30 सितम्बर 2011 तक पूरी हो जाएगी। (नोडल मंत्रालय/विभागः गृह मंत्रालय)	सामाजिक-आर्थिक और जाति आधारित जनगणना 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू की गई है। यह दादरा एवं नागर हवेली, चंडीगढ़ एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों तथा त्रिपुरा राज्य में पूरी हो गई है। यह दमण व दीव, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, उत्तराखंड, नागालैंड और ओडिशा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही है। उपर्युक्त 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 16,16,457 गणना ब्लाकों में से, लगभग 4,93,647 गणना ब्लाकों में फील्ड सर्वे पूरा कर लिया गया है। ***कार्य प्रगति पर***
88.	120	*यूआईडी मिशन* यूआईडी मिशन की शुरुआत हो चुकी है तथा बड़ी संख्या में आधार नंबर सृजित किए जा रहे हैं। अब तक, 20 लाख आधार नंबर दिए गए हैं और 1	31 जनवरी, 2012 की स्थिति के अनुसार, 12.1 करोड़ आधार संख्याएं सृजित की गई हैं, जिनमें से 2.52 करोड़ (औसतन 8 लाख संख्या प्रति दिन) जनवरी, 2012 में की गई हैं। यूआईडीएआई

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		अक्तूबर, 2011 से प्रतिदिन 10 लाख नंबर सृजित किए जाएंगे। विभिन्न स्कीमों के अभिशासन में सेवा सुपुर्दगी, जवाबदेही एवं पारदर्शिता के लिए आधार की क्षमता प्राप्त करने के लिए अब रास्ता तैयार है। (नोडल मंत्रालय/विभागः योजना आयोग)	को विश्वास है कि संख्याओं में और वृद्धि होगी तथा 10 लाख से अधिक आधार संख्या प्रतिदिन सृजित हो सकेगी । ***कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण***
89.	121.	**सूचना प्रौद्योगिकी की पहल** एक कारगर कर प्रशासन का आधार एक मजबूत आईटी अवसंरचना और वर्धित करदाता सेवाओं के लिए उसका विस्तार किया जाना होता है। मुझे इस सम्माननीय सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस उद्देश्य के लिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी), दोनों ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:	
		• आयकर विवरणी ऑन-लाइन पर तैयार और प्रस्तुत करना, 32 एजेंसी बैंकों के माध्यम से करों का ई-भुगतान, करदाताओं के बैंक खातों में सीधे (धन) वापसी के इलेक्ट्रानिक समाशोधन और टीडीएस विवरणियां इलेक्ट्रानिक रुप से प्रस्तुत करने हेतु ईसीएस सुविधा अब देशभर में उपलब्ध है। इन उपायों से करदाता आयकर कार्यालय में जाए बिना, अपनी कर संबंधी जिम्मेदारियां पूरा करने में समर्थ हुए हैं।	
		• बेंगलुरु स्थित केंद्रीकृत प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) ने 2010-11 में अपनी दैनिक प्रोसेसिंग क्षमता 20,000 विवरणियों से बढ़ाकर 1.5 लाख विवरणियां कर दी हैं। इस परियोजना ने 2011 में ई-गवर्नेंस के लिए स्वर्ण पुरस्कार जीता है। मई 2011 तक और दो सीपीसी मानेसर और पुणे में कार्य करना शुरु कर देंगे तथा चौथा सीपीसी 2011-12 में कोलकाता में स्थापित किया जाएगा।	• मानेसर और पूणे में केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग केंद्र की स्थापना से संबंधित कार्य चल रहा है। पुणे और मानेसर केंद्र की टेंडरिंग प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग केंद्र, कोलकाता के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के कारण इन स्थानों पर स्थित किए जाने वाले केंद्रीयकृत प्रोसेसिंग केंद्रों की स्थापना में विलम्ब हुआ।
		• सीबीईसी, अपनी आईटी समेकन परियोजना पूरी हो जाने से, अब अपने मुख्य अनुप्रयोग केंद्रीय रुप से सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क तथा सेवा कर में व्यवस्थित कर सकता है। सीमा-शुल्क की ईडीआई प्रणाली अब देशभर में 92 स्थानों में काम कर रही है। सीबीईसी के ई-कॉमर्स पोर्टल 'आईसगेट' को भी ई-गवर्नेंस के लिए स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है।	• आईटी समेकन परियोजना क्रियान्वित हो गई है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अनुप्रयोग राष्ट्रीय डाटा केंद्र में लाया गया है तथा सभी 104 केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आयुक्तालयों में क्रियान्वित किया गया है। उन्नत सीमा-शुल्क अनुप्रयोग (आईसीईएस 105) भी राष्ट्रीय डाटा केंद्र में लाया गया है तथा 94 स्थानों में क्रियान्वित किया गया है।
		• दोनों बोर्डों द्वारा 'सेवोत्तम' की संकल्पना अपनाई गई है। सीबीडीटी के तहत आयकर सेवा केंद्रों की	• केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधीन 50 आयकर सेवा केंद्रों के 31 मार्च, 2012 तक काम शुरू करने की संभावना है।

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		तीन प्रायोगिक परियोजनाओं ने लम्बा रास्ता तय किया है। सीबीडीटी इस वर्ष और आठ ऐसे केंद्र चालू करेगा। 2011-12 में देशभर में 50 आयकर सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सीबीईसी ने भी इसी प्रकार के उपाय किए हैं और उनकी प्रायोगिक परियोजनाओं में से चार शुरु की गई हैं।	केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन एक और संस्थान को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 'सेवोत्तम' प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है जिससे कुल संख्या बढ़कर 5 हो गई है। चरण-।। में, 'सेवोत्तम' 20 अन्य संगठनों में क्रियान्वित किया जा रहा है।
		• स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) विवरणों का इलेक्ट्रानिक प्रस्तुतिकरण मजबूती प्राप्त कर चुका है। बोर्ड शीघ्र ही उन वेतनभोगी करदाताओं की श्रेणी अधिसूचित करेगा जिन्हें आय का विवरण प्रस्तुत करना जरुरी नहीं होगा क्योंकि उनकी कर संबंधी देयता का निर्वहन उनके नियोक्ता द्वारा स्रोत पर कटौती के माध्यम से किया जा चुका है।	• एक श्रेणी के वेतनभोगी करदाताओं को आयकर विवरणी भरने से छूट प्रदान करने के लिए, अधिसूचना 23 जून, 2011 को जारी की गई है।
		• सीबीडीटी करदाताओं को आयकर विभाग के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए एक पृथक वेब-आधारित सुविधा मुहैया कराएगा ताकि करदाता अपनी वापसी राशि और पूर्व प्रदत्त करों के बकाया के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकें तथा उनके निराकरण की स्थिति पता कर सकें।	• कार्यात्मकता विकसित की गई है तथा उसकी जांच की जा रही है और उसे मौजूदा वित्त वर्ष में जन साधारण के लिए सार्वजनिक कर दिया जाएगा। ***कार्रवाई आंशिक रूप से पूर्ण***
		(नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग)	
90.	122.	मैंने अपने पिछले बजट में, राज्यों में वाणिज्यिक करों के कम्प्यूटरीकरण के लिए मिशन मोड परियोजनाओं की घोषणा की थी। इनसे राज्य वस्तु एवं सेवा कर को शुरु कर सकेंगे। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त 31 परियोजनाओं हेतु निधियां जारी की गई हैं। अधिकांश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने डीलरों द्वारा इलेक्ट्रानिक भुगतान किए जाने की सुविधा मुहैया कराई है। कई राज्यों ने इलेक्ट्रानिक कर विवरणी स्वीकार करना और अंतर राज्य व्यापार के लिए अपेक्षित फॉर्म जारी करना शुरु कर दिया है। (नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग)	22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने डीलरों के लिए इलेक्ट्रानिक भुगतान सुविधा सफलतापूर्वक शुरू कर दी है। 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने डीलरों के लिए इलेक्ट्रानिक विवरणी भरना सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है। 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने डीलरों से 80 प्रतिशत से अधिक पैन ब्यौरा एकत्रित कर लिया है तथा शेष राज्य प्राथमिकता के आधार पर इसे एकत्रित कर रहे हैं। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने विवरणी भरने के लिए पैन को अनिवार्य कर दिया है। पांच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक वापसी भी लागू है। ***कार्रवाई पूर्ण***
91.	123.	अर्थव्यवस्था के विकास के चलते, पिछले वर्षों से भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के उपबंधों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। मैं इस अधिनियम में संशोधन के लिए जल्द ही एक विधेयक ला रहा हूं। (नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग)	विधेयक के प्रारूप की विधिक जांच की जा रही है। ***कार्य प्रगति पर***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
92.	124.	पांच वर्ष पहले, हमने देश में एक आधुनिक और जनता के अनुकूल ई-स्टाम्पिग सुविधा शुरु करने की पहल की थी। अब तक, केवल 6 राज्यों ने ही इस प्रणाली की शुरुआत की है। मैं, राज्यों को उनके स्टाम्प और पंजीकरण प्रशासन के आधुनिकीकरण तथा अगले तीन वर्षों में सभी जिलों में ई-स्टाम्पिंग पहुंचाने के लिए सहायता देने हेतु ₹ 300 करोड़ के परिव्यय से नई स्कीम आरंभ करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग)	राज्यों को उनकी स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन प्रशासन को आधुनिकीकृत करने तथा आगामी तीन वर्षों में सभी जिलों में इलेक्ट्रानिक स्टाम्पों की शुरुआत करने के लिए सहायता प्रदान करने की योजना के दिशा-निर्देशों पर विचार करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए, राज्यों के साथ एक बैठक आयोजित की गई है। तदनुसार, आयोजना-भिन्न व्यय संबंधी समिति से यह योजना अनुमोदित करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। ***कार्य प्रगति पर***
93.	125.	मैं, ऐसे छोटे करदाताओं, जो संभावित कराधान के कार्यक्षेत्र में आते हैं का अनुपालन भार कम करने के लिए एक नया सरलीकृत विवरणी प्रपत्र 'सुगम' की शुरुआत का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग)	एक नया सरलीकृत विवरणी प्रपत्र 'सुगम' 5 अप्रैल, 2011 को अधिसूचित किया गया है। यह उन छोटे करदाताओं, जो उपधारणात्मक कराधान के कार्यक्षेत्र में आते हैं, द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए उपलब्ध है। ***कार्रवाई पूर्ण***
94.	126.	समझौता आयोगों द्वारा स्वीकृत किए गए मामलों के कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी से, कई करदाताओं को राहत मिली है। इससे इस आयोग के कार्यभार में भी वृद्धि हुई है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए, इस आयोग की और तीन पीठ स्थापित की जा रही हैं। (नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग)	आयकर समझौता आयोग की तीन अतिरिक्त पीठ सरकार के तारीख 5 दिसंबर, 2011 के आदेश द्वारा स्थापित की गई हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***
95.	128.	**भ्रष्टाचार** भ्रष्टाचार से निपटने के उपायों पर विचार करने के लिए, एक मंत्री समूह गठित किया गया है। इस समूह को चुनाव में सरकारी धन लगाने, लोक सेवकों के भ्रष्टाचार के मामलों पर शीघ्र कार्रवाई करने, सरकारी अधिप्राप्ति तथा ठेकों में पारदर्शिता, केंद्रीय मंत्रियों की विवेकाधीन शक्तियों तथा प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए प्रतिस्पर्धी प्रणाली से संबंधित मुद्दों के समाधान का कार्य सौंपा गया है। यह समूह समयबद्ध अपनी सिफारिशें देगा। (नोडल मंत्रालय/विभागः कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)	मंत्री दल ने अपनी पहली रिपोर्ट अप्रैल, 2011 में दे दी है। इसे सरकार द्वारा गौण संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया है। स्वीकृत सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है। कुछ मामलों में अनुदेश जारी किए जा चुके हैं और सांविधिक नियमों में संशोधन करने के लिए, शेष मामलों में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मंत्री दल ने अभी अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की हैं। ***कार्य प्रगति पर***
96.	129.	**निष्पादन मॉनीटरिंग और मूल्यांकन प्रणाली** दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, सरकार ने सरकारी विभागों की उनके अधिदेशित कार्यों के संबंध में कार्यक्षमता के मूल्यांकन के लिए	इस समय, 78 केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके अधीन कुछ 800 उत्तरदायित्व केंद्रों (संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकाय) कार्यनिष्पादन मानीटरी और मूल्यांकन प्रणाली/

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		एक निष्पादन मानीटरिंग मूल्यांकन प्रणाली (पीएमईएस) स्थापित की है। इसमें प्रत्येक विभाग द्वारा एक रिजल्ट प्रेमवर्क दस्तावेज तैयार करना शामिल है जिसमें वित्त वर्ष के लिए इसके उद्देश्यों तथा प्राथमिकताओं एवं वर्ष की समाप्ति पर पूर्व निर्दिष्ट लक्ष्यों के मुकाबले हासिल उपलब्धियों को रेखांकित किया जाएगा। यह दस्तावेज जनता के सूचनार्थ विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। प्रथम चरण में इस प्रणाली (पीएमईएस) के अंतर्गत 62 विभागों को शामिल किया गया है। (नोडल मंत्रालय/विभागः कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय)	परिणाम ढांचा प्रलेख नीति के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और असम राज्य सरकारों द्वारा परिणाम ढांचा प्रलेख (आरएफडी) नीति अंगीकृत की गई है। कई अन्य राज्य सरकारों ने कार्यनिष्पादन मानीटरी और मूल्यांकन प्रणाली (पीएमईएस)/आरएफडी नीति को अंगीकृत करने में रुचि प्रकट की है। वर्ष 2009-10 और 2010-11 के लिए मंत्रालयों/विभागों की उपलब्धियों तथा उनकी आरएफडी में निर्धारित लक्ष्यों का भी एक स्वतंत्र विशेषज्ञ दल द्वारा मूल्यांकन और समीक्षा की गई है। ***कार्रवाई पूर्ण***
97.	130.	**टैगप** मैंने, 2010-11 के बजट में की गई घोषणा के अनुसरण में एक टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप फॉर यूनिक प्रोजेक्ट्स (टैगप) का गठन किया था। इस समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा इसकी सिफारिशें सिद्धान्ततः स्वीकार कर ली गई हैं। इसके क्रियान्वयन के तौर-तरीके तैयार किए जा रहे हैं। (नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग)	विशिष्ट परियोजना तकनीकी सलाहकार दल की सिफारिशों पर विचार-विमर्श करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए, वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति गठित की गई है ताकि विशिष्ट परियोजना तकनीकी सलाहकार दल द्वारा की गई सिफारिशों को अमल में लाया जा सके। क्रियान्वयन के तौर-तरीके उच्च स्तरीय समन्वय समिति द्वारा तैयार किए जा रहे हैं। ***कार्य प्रगति पर***
98.	131.	भारतीय रुपए का अब एक नया प्रतीक चिह्न है जिसे केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों, कारोबारी कंपनियों और आम जनता द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए अधिसूचित कर दिया गया है। इस प्रतीक चिह्न के अंकन वाली सिक्कों की नई श्रृंखला शीघ्र ही जारी की जाएगी। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों में इस प्रतीक चिह्न को शामिल करने के लिए यूनिकोड स्टैण्डर्ड प्राधिकरण से संपर्क किया है। (नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग)	नए रुपए के प्रतीक '₹' के साथ सिक्कों की नई श्रृंखला आरंभ की गई है। '₹' प्रतीक को यूनिकोड मानक और राष्ट्रीय मानक आईएससीआईआई में इनकोड किया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण***
99.	144.	अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए विदेशी निधियां जुटाने हेतु, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि: ● अधिसूचित अवसंरचना ऋण निधि के रूप में विशेष साधनों का सृजन किया जाए; ● इन निधियों के उधारों पर विषय संबधी ब्याज पर 20 प्रतिशत की आस्थगन कर दर (विदहोल्डिंग टैक्स रेट) को घटाकर 5 प्रतिशत करना; और ● निधि की आय को कर-मुक्त करना। (नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग)	वित्त अधिनियम, 2011 ने आयकर अधिनियम, 1961 में 01 जून, 2011 से एक नई उपधारा 10(47) जोड़ दी है। इसमें यह व्यवस्था है कि विहित दिशानिर्देशों के अनुसार स्थापित अवसंरचना ऋण निधि की आय को अनिवासी निवेशकों को भुगतान किए जाने वाले ब्याज के संबंध में 5 प्रतिशत की आस्थगन कर दर से छूट होगी। प्रस्तावित अवसंरचना ऋण निधि के लिए उपयुक्त संरचना को अंतिम रूप दे दिया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
100.	147.	कृषि क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, मैं, उर्वरकों का उत्पादन कर रहे व्यवसायों को निवेश से संबंधित कटौती का लाभ देने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग)	वित्त अधिनियम, 2011 ने आयकर अधिनियम की धारा 35कघ संशोधित कर दी है ताकि निवेश संबद्ध कटौती के प्रयोजन के लिए भारत में उर्वरकों के उत्पादन के विशिष्ट कारबार को सम्मिलित किया जा सके। ***कार्रवाई पूर्ण***
101.	148.	आवास के महत्व को ध्यान में रखते हुए, मैं, अधिसूचित स्कीम के तहत वहनीय आवास बनाने में लगे व्यवसायों को भी निवेश आधारित कटौती का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग)	आयकर अधिनियम की धारा 35कघ के अधीन वहनीय गृह के लिए निवेश संबद्ध कटौती के संबंध में दिशानिर्देश 2 जनवरी, 2012 को अधिसूचित कर दिए गए हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***
102.	149.	नवाचार के इस दशक में, मैंने राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों तथा प्रौद्योगिकी संस्थानों को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किए जाने वाले भुगतानों पर की जाने वाली भारित कटौती बढ़ाकर पिछले बजट में 175 प्रतिशत की थी। मैं इसे बढ़ाकर 200 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग)	राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रौद्योगिकी संस्थानों को किए गए भुगतान पर भारित कटौती, वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा एक अप्रैल, 2012 से बढ़ाकर 200 प्रतिशत कर दी गई है। ***कार्रवाई पूर्ण***
103.	150.	विदेशी कर क्षेत्राधिकार से सूचना संग्रहण की अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, मैं गैर-सहकारी क्षेत्राधिकार में स्थित इकाइयों जिन्हें सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, के साथ कारोबार को हतोत्साहित करने हेतु प्रतिरोधी उपायों के एक टूलबॉक्स की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूं। (नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग)	वित्त अधिनियम, 2011 ने सहकारिता-भिन्न अधिकार क्षेत्र में स्थित निकायों के साथ संव्यवहारों को हतोत्साहित करने के काउंटर उपायों की व्यवस्था करने के लिए आयकर अधिनियम में एक नई धारा 94क जोड़ी है। ***कार्रवाई पूर्ण***
104.	177.	**अन्य प्रस्ताव** सार्वजनिक संग्रहालय अथवा राष्ट्रीय संस्था में प्रदर्शनी हेतु आयात की जाने वाली कलाकृतियों और पुरावशेषों को सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है। हाल के वर्षों में, कई निजी संस्थाओं, अलाभकारी संगठनों और अन्य परम्परागत और समकालीन दोनों कलाओं को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के कल्याणकारी कार्य में सम्मिलित हुए हैं। कुछ व्यक्ति विदेशों में भारतीय कला और पुरावशेषों की पारम्परिक कृतियों का पता लगाने और उन्हें वापस अपने देश में लाने में सक्रिय रहे हैं। ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए, मैं कला कृतियों और पुरावशेषों तथा निजी कलाकृति दीर्घाओं अथवा इसी प्रकार के आम जनता के लिए खुले परिसरों में प्रदर्शनी अथवा प्रदर्शन हेतु आयात	राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई तारीख 01 मार्च, 2011 की अधिसूचना के अनुसरण में, संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालनात्मक दिशानिर्देश 25 अक्तूबर, 2011 को अधिसूचित किए गए हैं। ***कार्रवाई पूर्ण***

क्रम सं.	पैरा स.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की स्थिति
		के लिए इस छूट के कार्यक्षेत्र के विस्तार का प्रस्ताव करता हूँ। संस्कृति विभाग इस योजना का ब्यौरा अलग से अधिसूचित करेगा। (नोडल मंत्रालय/विभागः संस्कृति मंत्रालय)	
105.	184	सेवा कर के वास्तविक संग्रहण से इस क्षेत्र की पूरी क्षमता का पता नहीं चलता है। सेवा कर की 10 प्रतिशत की मानक दर को बनाए रखते हुए, मैं वर्तमान सेवा कर प्रणाली और इसके उत्तरवर्ती वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में निम्नलिखित उपायों से तालमेल बैठाना चाहता हूँ:	वित्त अधिनियम, 2011 के भाग के रूप में तथा साथ ही सरकारी राजपत्र में अधिसूचना को जारी करने के माध्यम से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:
		● कराधार के विस्तार हेतु कर के दायरे में कुछ नई सेवाओं को लाना और साथ ही यह सुनिश्चित करना कि इसका प्रभाव पहले की तरह समाज के ऐसे वर्गों पर हो जिनमें भुगतान करने की क्षमता हो;	दो नई कर योग्य सेवाएं अर्थात रेस्टोरेंट सेवा और अल्पावधिक आवास सेवा 01 मई, 2011 से कर नेट में शामिल की गई हैं;
		● सेवा की मौजूदा श्रेणियों के कार्यक्षेत्र का उपयुक्त रूप से विस्तार करना और उसे युक्तियुक्त बनाना;	विद्यमान सेवा श्रेणियों के कार्यक्षेत्र का विस्तार/यौक्तीकरण वित्त अधिनियम, 2011 में किया गया है;
		● सेवाओं के आयात और मूल्यांकन संबंधी कतिपय प्रावधानों को युक्तियुक्त बनाना;	सेवाओं के आयात में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए अधिसूचना 01 मार्च, 2011 को जारी की गई;
		● इन्पुट क्रेडिटों और आउटपुट कर के बीच अधिक वास्तविक संतुलन बनाने तथा वस्तुओं एवं सेवाओं में योजना के उपबंधों में तालमेल बैठाने के लिए, सेनवैट क्रेडिट योजना के प्रावधानों में संशोधन करना;	सैनवेट क्रेडिट योजना में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए अधिसूचना 01 मार्च, 2011 को जारी की गई;
		● इस संदेश को पुष्ट करने के लिए दण्डात्मक प्रावधानों को युक्ति-संगत बनाना कि ईमानदार करदाताओं की मदद की जाएगी और चूककर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई होगी; और	करवंचकों के विरुद्ध कठोर शास्ति उपबंध की व्यवस्था करने के लिए, वित्त अधिनियम, 1994 में धारा 89 जोड़ी गई है; और
		● ऐसी सेवाओं के सम्बन्ध में कराधान अंक नियमों को अपनाना जो कर संग्रह के सम्बन्ध में आधार को नकद से उपचय आधार की ओर ले जाएगा जैसा केंद्रीय उत्पाद शुल्क के मामले में है। (नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग)	कराधान नियम, 2011 में कराधान बिन्दु शुरू करने के लिए अधिसूचना 01 मार्च, 2011 को जारी की गई है। इसके अतिरिक्त नियमों में आवश्यक संशोधन करने के लिए अधिसूचना भी 31 मार्च, 2011 को जारी की गई। ***कार्रवाई पूर्ण***
106.	194.	कई विशेषज्ञों का तर्क है लघु निषेधात्मक सूची पर आधारित सेवाओं पर कर लगाना वांछनीय होगा ताकि कई अनछुए क्षेत्रों को कर दायरे में लाया जा सके। ऐसा दृष्टिकोण सम्पूर्ण राष्ट्र में लागू किए जाने वाले वस्तु एवं सेवाकर के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरक होगा। मैं इस विषय पर सार्वजनिक बहस प्रारम्भ करने का प्रस्ताव करता हूँ ताकि वस्तु एवं सेवाकर की अवधारणा को अन्तिम रूप दिया जा सके। (नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग)	वस्तु, एवं सेवा कर के दृष्टिकोण के रूप में सेवा कर की 'नकारात्मक सूची' की संरचना के संबंध में लोक परिचर्चा शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त, सेवाओं के कराधान की नकारात्मक सूची दृष्टिकोण के संबंध में अवधारणा निबंध-पत्र परिचर्चा के लिए सार्वजनिक कर दिया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण***